इसे वेबसाइट **www.govtpress.mp.gov.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 51] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 दिसम्बर 2025–अग्रहायण 28, शक 1947

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मैं, महेन्द्र शर्मा पिता सुखलाल शर्मा, निवासी– 02, टाटा नगर, गली नम्बर 2, रतलाम (म.प्र.). मेरे कुछ शासकीय व अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में आधार कार्ड में मंगतू मिश्रा पिता सुखपाल मिश्रा दर्ज है एवं पैन कार्ड में महेन्द्र पिता सुखलाल एवं वोटर कार्ड में महेन्द्र शर्मा पिता सुखलाल शर्मा अंकित है. मुझे उक्त तीनों नामों से जाना–पहचाना जाता है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे महेन्द्र शर्मा पिता सुखलाल शर्मा के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(महेन्द्र पिता सुखलाल/	**(महेन्द्र शर्मा)**
मंगतू मिश्रा पिता सुखपाल मिश्रा)	पिता– सुखलाल शर्मा.

(G-7356)

नाम परिवर्तन

मैं, किरण (Kiran), मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा नाम किरण (Kiran) अंकित है, किन्तु आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम शुभ रोशन आनंद अंकित हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मुझे मेरे सही नाम किरण (Kiran) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(शुभ रोशन आनंद)	**(किरण).**

(G-7357)

नाम परिवर्तन

मैं, चन्द्रप्रकाश पिता सोभागमल, निवासी–98, शिक्षक बस्ती, बड़नगर, जिला उज्जैन (म.प्र.). मेरा नाम कुछ शासकीय, अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में चन्दनमल पिता सोभागमल दर्ज है. मुझे दोनों नाम से जाना–पहचाना जाता है, दोनों ही नाम मुझ एक ही व्यक्ति के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे चन्द्रप्रकाश पिता सोभागमल के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(चन्दनमल)	**(चन्द्रप्रकाश)**
	पिता– सोभागमल.

(G-7358)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम सारिका बडोले SARIKA BADOLE था, जिसे अब बदलकर आकांक्षा बडोले AKANSHA BADOLE पिता रामदीन बडोले हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(सारिका बडोले)	**(आकांक्षा बडोले)**
SARIKA BADOLE	AKANSHA BADOLE.
	निवासी– 185/7, बाबू मुराई कॉलोनी,
	एअरपोर्ट रोड, इन्दौर (म.प्र.).

(G-7359)

नाम परिवर्तन

मैं, राजेन्द्र कुमार मरमट पिता रामनाथ, निवासी– वार्ड नं.02, लक्ष्मणपुरा, रोड़ नम्बर 01, रतलाम (म.प्र.). मेरे कुछ शासकीय व अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में राजेन्द्र कुमार पिता रामनाथ एवं राजेन्द्र पिता रामनाथ एवं आधार कार्ड में राजेन्द्र कुमार मरमट पिता रामनाथ अंकित है. मुझे उक्त तीनों नामों से जाना–पहचाना जाता है एवं तीनों नाम मेरे स्वयं के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे राजेन्द्र कुमार मरमट पिता रामनाथ के नाम से जाना–पहचाना, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(राजेन्द्र कुमार)	**(राजेन्द्र कुमार मरमट)**
(राजेन्द्र)	पिता– रामनाथ.

(G-7360)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम पहले महेंद्र विश्वकर्मा था, जिसे अब बदलकर प्रियांश विश्वकर्मा कर लिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में प्रियांश विश्वकर्मा के नाम से जाना–पहचाना, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(पिंटू विश्वकर्मा)

पता– 29, न्यू गौरी नगर,

जीव का बगीचा, इन्दौर (म.प्र.).

(G-7361)

नाम परिवर्तन

मैं, मंजुला बाई सोनावा पति स्वर्गीय श्री राजाराम सोनावा, निवासी–म.नं. 10, धीरजशाह नगर, गली नं. 3, रतलाम (म.प्र.). मेरा नाम आधार कार्ड में मंजुबाला सोनावा पति राजाराम सोनावा अंकित है. मुझे मंजुला बाई सोनावा पति स्वर्गीय श्री राजाराम सोनावा एवं मंजुबाला सोनावा पति राजाराम सोनावा उक्त दोनों नामों से जाना–पहचाना जाता है एवं दोनों नाम मुझ एक ही महिला के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे मंजुला बाई सोनावा पति स्वर्गीय श्री राजाराम सोनावा के नाम से जाना–पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(मंजुबाला सोनावा)	**(मंजुला बाई सोनावा)**
पति– राजाराम सोनावा.	पति– स्वर्गीय श्री राजाराम सोनावा.

(G-7362)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम बैंक की पास बुक में दुर्गा बंसोड़ पत्नी सुशील कुमार है तथा समस्त दस्तावेजों, आधार कार्ड व अन्य में मेरा नाम दुर्गा बंसोड़ कुमार पत्नी श्री सुशील कुमार है. मैंने अपना नाम विवाह उपरांत परिवर्तित कर दुर्गा बंसोड़ कुमार पत्नी श्री सुशील कुमार कर लिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे सभी दस्तावेजों में दुर्गा बंसोड़ कुमार पत्नी श्री सुशील कुमार के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(दुर्गा बंसोड़)	**(दुर्गा बंसोड़ कुमार).**

(G-7363)

नाम परिवर्तन

मैं, सुनीता देवी पति श्री शंकर कुमार, मेरा नाम सुनीता (SUNITA) सर्विस बुक में त्रुटिवश दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम सुनीता देवी (SUNITA DEVI) है. सुनीता एवं सुनीता देवी दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे सुनीता देवी (SUNITA DEVI) के नाम से ही जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

प्रार्थिनी
(सुनीता देवी)
(SUNITA DEVI)
पति– श्री शंकर कुमार
पता– टाईप 3–6/7, आर्डिनेस फैक्ट्री,
विवेकानंद नगर, कली मंदिर के पास,
रामकृष्ण परमहंस वार्ड, सीमेंट फैक्ट्री,
जिला कटनी (म.प्र.).

(G-7364)

नाम परिवर्तन

मैं, कृष्ण कुमारी (Krishnakumari), मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा नाम कृष्ण कुमारी अंकित है, किन्तु आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम अनुराग अनमोल आनंद अंकित हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मुझे कृष्ण कुमारी (Krishna Kumari) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(अनुराग अनमोल आनंद)

नया नाम
(कृष्ण कुमारी)
(Krishna Kumari).

(G-7365)

नाम परिवर्तन

मैं, रमेश प्रजापति पिता धुरालाल, निवासी– नयी आबादी मौहल्ला, ग्राम शक्करखेड़ी, तहसील जावरा, जिला रतलाम (म.प्र.). मेरा नाम कुछ शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों (खसरा नकल) में मोहनलाल पिता धुरालाल दर्ज है. मुझे दोनों नामों से जाना–पहचाना जाता है, दोनों ही नाम मेरे स्वयं के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे रमेश प्रजापति पिता धुरालाल के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(मोहनलाल)

नया नाम
(रमेश प्रजापति)
पिता– धुरालाल.

(G-7366)

CHANGE OF NAME

Myself Pawan Kumar presently known as Achal Vivek Anand, having been ordained as a monk through Shri Anandpur Trust, at the premises of Shri Anandpur Trust, I hereby solemnly declare to abandon the use of my former name so hereafter may be called, known and distinguished not by my former name Pawan Kumar, but by assigned name Achal Vivek Anand request all persons in general, relatives and friends in particular, at all times hereafter to designate and address me as Achal Vivek Anand

Old Name
(PAWAN KUMAR)

New Name
(Achal Vivek Anand).

(G-7367)

नाम परिवर्तन

मैं, अनसिंह चौहान पिता प्रेमसिंह चौहान, निवासी– 38, रेल नगर, रतलाम (म.प्र.). मेरा नाम कुछ शासकीय व अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में आधार कार्ड में अन्ना सिंह (ANNA SINGH CHOUHAN) पिता प्रेम सिंह चौहान दर्ज है. मुझे उक्त दोनों नामों से जाना–पहचाना जाता है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे अनसिंह चौहान पिता प्रेमसिंह चौहान (ANSINGH CHOUHAN S/o. PERMSINGH CHOUHAN) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(अन्ना सिंह)

नया नाम
(अनसिंह चौहान)
(ANSINGH CHOUHAN)
पिता– प्रेमसिंह चौहान
S/o. PERMSINGH CHOUHAN.

(G-7368)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम सचिन राजपूत (SACHIN RAJPUT) था, जो कि अब बदलकर सचिन पंवार पिता शेरसिंह पंवार (SACHIN PANWAR S/o. SHERSINGH PANWAR) हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे इसी नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(सचिन राजपूत)

नया नाम
(सचिन पंवार)
(SACHIN PANWAR)
पिता– शेरसिंह पंवार
S/o. SHERSINGH PANWAR
पता– ग्राम दूधाना, तहसील मोमन
बडोदिया, शाजापुर (म.प्र.).

(G-7369)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम निरंजन (NIRANJAN) था, जो कि अब बदलकर कृष्णा पटेल पिता सोदान सिंह (KRISHNA PATEL S/o. SODAN SINGH) हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे इसी नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(निरंजन)

नया नाम
(कृष्णा पटेल)
(KRISHNA PATEL)
पिता– सोदान सिंह
S/o. SODAN SINGH
पता– ग्राम कुंवरसी, तहसील धार,
जिला धार (म.प्र.).

(G-7370)

उपनाम परिवर्तन

मैं, हरिक्रेश कुर्मी एवं रीना कुर्मी, मेरे पुत्र हार्दिक कुर्मी के शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा उपनाम कुर्मी (Kurmi) के स्थान पर पटेल (Patel) अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा सही उपनाम कुर्मी अंकित किया जाए (Harikresh Kurmi, Reena Kurmi एवं Hardik Kurmi) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा, एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक
(हरिक्रेश कुर्मी)
पता– 17/4, Semara
ग्राम सेमरा, त्योंदा, ग्राम पंचायत पचपीपरा,
जनपद पंचायत, बासौदा, जिला विदिशा (म.प्र.).

(G-7371)

नाम परिवर्तन

मैं, सचिन कुमार सकलेचा पिता पारसमल सकलेचा, निवासी– वार्ड नं. 21, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, नागदा जिला उज्जैन (म.प्र.). मेरे नाम कुछ शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में सजिवकुमार पिता पारसमल दर्ज है. मुझे दोनों नाम से जाना–पहचाना जाता है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे सचिन कुमार सकलेचा पिता पारसमल सकलेचा के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(सजिवकुमार)
पिता– पारसमल

नया नाम
(सचिन कुमार सकलेचा)
पिता– पारसमल सकलेचा.

(G-7372)

उपनाम परिवर्तन

मैं, यामिनी भंवर (Yamini Bhanwar), मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा नाम यामिनी भंवर अंकित है, किन्तु शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरे एवं मेरे माता–पिता के नाम के आगे उपनाम (भंवर) अंकित नहीं हुआ है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय शैक्षणिक दस्तावेजों में मुझे यामिनी भंवर (Yamini Bhanwar) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(यामिनी)	**(यामिनी भंवर)**
(Yamini)	(Yamini Bhanwar)
	पुत्री– श्री मगनसिंह भंवर एवं तारा भंवर.

(G-7373)

नाम परिवर्तन

मैं, विरेन्द्र कुमार सकलेचा पिता शोभागमल जी, निवासी– 92, 03, दयानन्द कॉलोनी, नागदा, जिला उज्जैन (म.प्र.). मेरा नाम कुछ शासकीय, अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में पन्नालाल पिता सोभागमल दर्ज है. मुझे दोनों नामों से जाना–पहचाना जाता है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे विरेन्द्र कुमार सकलेचा पिता शोभागमल जी के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(पन्नालाल)	**(विरेन्द्र कुमार सकलेचा)**
पिता– सोभागमल	पिता– शोभागमल जी.

(G-7374)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम इक़बाल (IQBAL) था, जो कि अब बदलकर मो. जावेद इकबाल पिता वली मोहम्मद (MOHD. JAVED IQBAL S/o. WALI MOHAMMAD) हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे इसी नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(इकबाल)	**(मो. जावेद इकबाल)**
(IQBAL)	(MOHD. JAVED IQBAL)
	पता– 29, सदर बाजार, मेन रोड, इन्दौर (म.प्र.).

(G-7375)

नाम परिवर्तन

मैं, लल्लू प्रसाद आत्मज प्रेमनारायण शर्मा, मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा नाम लल्लू प्रसाद आत्मज प्रेमनारायण शर्मा अंकित है, किन्तु आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम भुजबल सिंग परिहार (Bhujbal Singh parihar) आत्मज प्रेमनारायण शर्मा अंकित हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मुझे लल्लू प्रसाद आत्मज प्रेमनारायण शर्मा के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(भुजबल सिंग परिहार)	**(लल्लू प्रसाद)**
(Bhujbal Singh parihar)	आत्मज– प्रेमनारायण शर्मा
	पता– बनबा जागीर
(G-7376)	महागौर, विदिशा (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम गौरव सिंह चौहान था. जो कि अब बदलकर जयेश चौहान माता सरिता बाई चौहान हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे इसी नाम से जाना–पहचाना जावे.

पुराना नाम
(गौरव सिंह चौहान)

नया नाम
(जयेश चौहान)
माता– सरिता बाई चौहान
पता– म. नं. 21, वार्ड नं. 4, गल चौक खेड़ी,
राजोदा, देवास (म.प्र.).

(G-7377)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम योगिता चौहान था. जो कि अब बदलकर भावीका चौहान माता सरिता बाई चौहान हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे इसी नाम से जाना–पहचाना जावे.

पुराना नाम
(योगिता चौहान)

नया नाम
(भावीका चौहान)
माता– सरिता बाई चौहान
पता– म. नं. 21, वार्ड नं. 4, गल चौक खेड़ी,
राजोदा, देवास (म.प्र.).

(G-7378)

नाम परिवर्तन

मैं, राहुल पटेल पिता नारायण पटेल, निवासी– 18 बी, बृज धाम कालोनी, सुल्ला खेडी, इन्दौर (म.प्र.). मेरे पुत्र का नाम आधार कार्ड में यश पटेल (YASH PATEL) दर्ज है एंव जन्म प्रमाण–पत्र एंव शैक्षणिक दस्तावेजों में यशराज पटेल (YASHRAJ PATEL) दर्ज है. उक्त दोनों नाम मेरे पुत्र के ही हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरा पुत्र यशराज पटेल (YASHRAJ PATEL) के नाम जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावेगा.

पुराना नाम

(यश पटेल)
(YASH PATEL)

नया नाम

(यशराज पटेल)
(YASHRAJ PATEL)
पिता– राहुल पटेल.

(G-7379)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम ज्योति (JYOTI) है, यही नाम मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि दस्तावेजों में दर्ज है, जबकि मेरी भारतीय जीवन बीमा पॉलिसी एवं शैक्षणिक दस्तावेज, जाति प्रमाण–पत्र आदि में मेरा घरू नाम भारती (BHARTI) दर्ज है. ज्योति (JYOTI) और भारती (BHARTI) दोनों नाम मुझ एक ही महिला के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी भारतीय जीवन बीमा पॉलिसी एवं समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम भारती (BHARTI) के स्थान पर ज्योति (JYOTI) दर्ज किया जावे एवं भविष्य में मुझे भारती (BHARTI) के स्थान पर ज्योति (JYOTI) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(भारती)
(BHARTI)

नया नाम

(ज्योति)
(JYOTI)
पत्नी– जुगल किशोर
निवासी– वार्ड 13, महावीर पुरा,
डबरा, जिला ग्वालियर (म.प्र.).

(G-7380)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का सही नाम तक्षिल जैन (TAKSHIL JAIN) है यही नाम उसके शैक्षणिक दस्तावेज व परिवार राशनकार्ड आदि में दर्ज है, जबकि मेरे पुत्र के आधार कार्ड में उसका नाम तक्षिल गर्ग (TAKSHIL GARG) दर्ज हो गया है. तक्षिल जैन (TAKSHIL JAIN) और तक्षिल गर्ग (TAKSHIL GARG) दोनों नाम मेरे एक ही पुत्र के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र के आधार कार्ड में उसका नाम तक्षिल गर्ग (TAKSHIL GARG) के स्थान पर तक्षिल जैन (TAKSHIL JAIN) दर्ज किया जावे एवं भविष्य में उसे तक्षिल जैन (TAKSHIL JAIN) पुत्र संजय जैन के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(संजय जैन)
पुत्र– पूरन चन्द जैन
निवासी– कोर्ट रोड़, संजय लॉज के सामने,
वार्ड नं. 06, शिवपुरी (म.प्र.).

(G-7381)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम सुरेन्द्र पाल (SURENDRA PAL) है यही नाम मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, शैक्षणिक दस्तावेजों आदि में दर्ज है, जबकि मेरे एस.बी.आई. के बैंक खाते में मेरा नाम त्रुटिवश सुरेन्द्रबघेल (SURENDRA BAGHEL) दर्ज हो गया है. सुरेन्द्र पाल (SURENDRA PAL) और सुरेन्द्रबघेल (SURENDRA BAGHEL) दोनों नाम मुझ एक ही व्यक्ति के नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे उक्त बैंक खाते एवं समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम सुरेन्द्रबघेल (SURENDRA BAGHEL) के स्थान पर सुरेन्द्र पाल (SURENDRA PAL) दर्ज किया जावे एवं भविष्य में मुझे सुरेन्द्र पाल (SURENDRA PAL) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(सुरेन्द्रबघेल)
(SURENDRABAGHEL)

नया नाम

(सुरेन्द्र पाल)
(SURENDRA PAL)
पुत्र– सीताराम पाल
निवासी– ग्राम भटपुरा डांग,
पिपरसेवा, मुरैना (म.प्र.).

(G-7382)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम माया देवी गोयल (MAYA DEVI GOYAL) है यही नाम मेरे पुराने आधार कार्ड, बैंक पासबुक आदि दस्तावेजों में दर्ज है, जबकि मेरे द्वारा अपना आधार अपडेट कराते समय त्रुटिवश मेरा नाम गीता पटवा (GEETA PATWA) दर्ज हो गया है. माया देवी गोयल (MAYA DEVI GOYAL) और गीता पटवा (GEETA PATWA) दोनों नाम मुझ एक ही महिला के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम गीता पटवा (GEETA PATWA) के स्थान पर माया देवी गोयल (MAYA DEVI GOYAL) दर्ज किया जावे एवं भविष्य मे मुझे गीता पटवा (GEETA PATWA) के स्थान पर माया देवी गोयल (MAYA DEVI GOYAL) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(गीता पटवा)
(GEETA PATWA)

नया नाम

(माया देवी गोयल)
(MAYA DEVI GOYAL)
पत्नी– ओम प्रकाश
निवासी– भोइयों का मोहल्ला,
लाला का बाजार, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-7383)

नाम परिवर्तन

मैं, कमलेश कुमार चौरसिया पिता श्री प्रेमलाल, पता– 62, खोवा मंडी, जैन पुत्री शाला के पीछे, जवाहरगंज वार्ड जबलपुर (म.प्र.). मेरे पुत्र का नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र में कुशाग्र चौरसिया (KUSHAGRA CHOURASIA) पिता कमलेश कुमार चौरसिया (KAMLESH KUMAR CHOURASIA) लिखा हुआ है, जबकि त्रुटिवश उसके आधार कार्ड में कुशान चौरसिया (KUSHAN CHAURASIYA) पिता कमलेश चौरसिया (KAMLESH CHOURASIYA) गलत दर्ज हो गया हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का सही नाम कुशाग्र चौरसिया (KUSHAGRA CHOURASIA) पिता कमलेश कुमार चौरसिया (KAMLESH KUMAR CHOURASIA) के नाम से जाना–पहचाना, पढ़ा–लिखा एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक

(कमलेश कुमार चौरसिया).

(G-7384)

नाम परिवर्तन

मेरे पति पूरन चंद पुत्र स्व. श्री सुमेरा, जो कि ग्रेसिम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, ग्वालियर (म.प्र.) में कार्यरत थे, जिसका पी.पी.ओ. एवं पेंशन रिकॉर्ड में मेरे घर का बोलता नाम श्रीमती शान्ति देवी दर्ज है, जबकि मेरे पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक आदि दस्तावेजों में मेरा नाम श्रीमती तारावती दर्ज है, जो कि सही है. शान्ति देवी एवं तारावती दोनों ही नाम मेरे स्वयं के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे श्रीमती तारावती के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

प्रार्थिनी

(तारावती)
निवासी– रामसिंह ठेकेदार के पास,
गोसपुरा नं. 2, हजीरा, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-7385)

नाम परिवर्तन

मेरे आधार कार्ड में मेरे नाम की स्पेलिंग Ragni दर्ज है, जो कि गलत है. जबकि मेरे वोटर कार्ड, हाईस्कूल एवं इन्टर अंकसूची, मेरिज प्रमाण–पत्र आदि दस्तावेजों में मेरे नाम की स्पेलिंग Raginee दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे Raginee के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

प्रार्थिनी

(Raginee)
निवासी– ग्राम पीपरीपूट, अर्रोन,
जिला मुरैना (म.प्र.).

(G-7386)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/s. MANDSAUR CEMENT PIPE FACTORY MANDSAUR, Address MHOW NEEMUCH ROAD, MANDSAUR (M.P.) Registration No. 46/1963-64 Dated 09–04–1963 जिसमें दिनांक 16–06–2024 को अल्पना गुप्ता पति स्व. श्री श्रीकांत गुप्ता पता स्टार्च फैक्ट्री परिसर, महू नीमच रोड, मन्दसौर, तहसील मन्दसौर, जिला मन्दसौर (म.प्र.) भागीदार का स्वर्गवास हो गया है. वर्तमान में इस फर्म M/s. MANDSAUR CEMENT PIPE FACTORY MANDSAUR में निम्न भागीदार होंगे.

For MANDSAUR CEMENT PIPE FACTORY

1. राखी गर्ग
2. पूजा गोयल
(भागीदार).

(G-7387)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/s. SRS INTERNATIONAL Address 253, Chimanganj Mandi, Ujjain, Tehsil Ujjain, District Ujjain, Madhya Pradesh पंजीयन क्रमांक 07–33–01–0070–22, दिनांक 25/07/2022 है. जिसमें दिनांक 02–07–2025 को Rupesh Agrawal S/o. Shri Radheshyam Agrawal, Resident of 202, Saikunj, 10th Cross, 6th Block, Nagarabhavi, 2nd Stage, Bengaluru, Karnataka नये पार्टनर (भागीदार) के रूप में फर्म M/s. SRS INTERNATIONAL, Address 253, Chimanganj Mandi, Ujjain, Tehsil Ujjain, District Ujjain Madhya Pradesh में प्रवेश हुआ है तथा जिसमें दिनांक 02–07–2025 को (1) Jitendra Garg S/o. Shri Banshilal Garg, Resident of 30, Kanhaiyalal Marg, Ujjain, Tehsil Ujjain, District Ujjain Madhya Pradesh अपनी स्वेच्छा से फर्म M/s. SRS INTERNATIONAL, Address 253, Chimanganj Mandi, Ujjain, Tehsil Ujjain, District Ujjain Madhya Pradesh से पृथक् हो गये हैं. उक्त दिनांक 02–07–2025 से इस फर्म M/s. SRS INTERNATIONAL, Address 253, Chimanganj Mandi, Ujjain, Tehsil Ujjain, District Ujjain Madhya Pradesh से पार्टनर (भागीदार) का कोई लेना–देना नहीं है. वर्तमान में इस फर्म M/s. SRS INTERNATIONAL में निम्नानुसार भागीदार रहेगें.

M/s. SRS INTERNATIONAL

1. **Rekha Agrawal**
2. **Rupesh Agrawal**

(भागीदार).

(G-7388)

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी साझेदारी फर्म "Ex Service Man Security" जो कि साझेदारी विलेख दिनांक 19–11–2021 के अनुसार संचालित थी, का नाम अब विधिवत परिवर्तित कर " Ex Service Man Security Force" कर दिया गया है. उक्त नाम परिवर्तन के संबंध में नया संशोधित साझेदारी विलेख दिनांक 10–10–2025 को विधिवत रूप से पंजीकृत किया जा चुका है तथा सभी साझेदारों की सहमति प्राप्त है. अब से फर्म का समस्त व्यवसाय, अनुबंध, देयताएं, अधिकार एवं दायित्व नए नाम "Ex Service Man Security Force" के अंतर्गत ही संचालित एवं प्रवर्तित माने जाएंगे.

Ex-Service Man Security Force

1. **Ms. Tejinder Kaur Cheema**
2. **Mr. Gurucharan Singh Cheema**

(Partner).

(G-7389)

NAME OF CHANGE

I, Karan (करन) S/o. Late Shri Sundar Lal Patel (स्व. श्री सुन्दर लाल पटैल) Resident of Mallapura Subhash Nagar Tah. Sagar, Madhya Pradesh. My Number 15221855M Rank Havaldar Unit 125 Sata Regiment C/o. 56 APO This is because My Name has been erroneously recorded as Karan (करन) in My (Unit) Army Documents Whereas My Correct Name is Karan Patel (करन पटैल) Which is re-corded in all my Documents.

पुराना नाम	नया नाम
(करन)	**(करन पटैल)**
(Karan)	(Karan Patel)
	स्व. श्री सुन्दर लाल पटैल
	Late Shri Sundar Lal Patel.

(G-7390)

नाम परिवर्तन

मैं, अशोक कुमार अहिरवार मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम करन सिंह अहिरवार (KARAN SINGH AHIRWAR) दर्ज हो गया है, जबकि मेरे पुत्र का सही नाम धनपाल अहिरवार (DHANPAL AHIRWAR) है, जो कि उसकी अंकसूची, जन्म प्रमाण–पत्र एवं अन्य दस्तावेजों में अंकित है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का सही नाम धनपाल अहिरवार (DHANPAL AHIRWAR) के नाम से ही जाना व पहचाना एवं लिखा–पढ़ा दर्ज किया जावे.

आवेदक

(अशोक कुमार अहिरवार)
पुत्र– बलदेव सिंह अहिरवार
निवासी– ग्राम कुकावाली, पोस्ट गदुली,
तहसील मुंगावली, जिला अशोकनगर (म.प्र.).

(G-7391)

नाम परिवर्तन

मैं, शेखर राठौर आत्मज दिलीप सिंह राठौर, निवासी – 120, शिव सिटी, देवास रोड, उज्जैन (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में निहारिका पिता शेखर राठौर दर्ज है, जिसे मैं, परिवर्तित कर रशिता राठौर पिता शेखर राठौर दर्ज करवाना चाहता हूँ, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरी पुत्री के सभी शासकीय/अर्धशासकीय/व्यक्तिगत समस्त दस्तावेजों में रशिता राठौर पिता शेखर राठौर के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(शेखर राठौर).

(G-7392)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम विकास शर्मा पुत्र गोविन्द शर्मा (VIKASH SHARMA S/o. GOVIND SHARMA), निवासी – वार्ड नं. 04, पोस्ट हाटपिपलिया, कुलमीपुरा, देवास (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम विसाल पुत्र गोविन्द (VISHAL S/o. GOVIND) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र व शैक्षणिक दस्तावेजों में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का नाम विकास शर्मा पुत्र गोविन्द शर्मा (VIKASH SHARMA S/o. GOVIND SHARMA) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(गोविन्द शर्मा).

(G-7393)

नाम परिवर्तन

मेरा पूर्व नाम नारायण गुर्जर था. मेरे सेवा अभिलेख में मेरा नया नाम नारायण सिंह गुर्जर (NARAYAN SINGH GURJAR) पिता श्री केशर सिंह गुर्जर हो गया है. इससे पूर्व मुझे नारायण गुर्जर के नाम से जाना–पहचाना जाता था. अब मेरा नया नाम नारायण सिंह गुर्जर (NARAYAN SINGH GURJAR) हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त अब मेरे समस्त दस्तावेजों में जहां पुराना नाम नारायण गुर्जर लिखा है, उसके स्थान पर नया नाम नारायण सिंह गुर्जर (NARAYAN SINGH GURJAR) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(नारायण गुर्जर)
(NARAYAN GURJAR)

नया नाम

(नारायण सिंह गुर्जर)
(NARAYAN SINGH GURJAR).

(G-7394)

नाम परिवर्तन

मैं, सुनील कुमार सिंह पिता श्री सुरेश सिंह, निवासी– ब्लॉक नं, बी 08, फ्लैट न. 605, गुलमर्ग परिसर, अम्बामोलिया, इंदौर (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम आरिका सिंह (Arika Singh) पिता सुनील कुमार सिंह गलत अंकित हो गया है. मेरी पुत्री के शैक्षणिक दस्तावेजों में और उसके बैंक पासबुक में उसका सही नाम हर्षिका सिंह पिता सुनील कुमार सिंह दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री का सही नाम हर्षिका सिंह पिता सुनील कुमार सिंह के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक

(सुनील कुमार सिंह)

(G-7395)

नाम परिवर्तन

मेरा पूर्व में नाम गरिमा सेठिया था जो कि परिवर्तित होकर प्रज्ञा सेठिया (PRAGYA SETHIYA) हो गया हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त अब भविष्य में मुझे मेरे परिवर्तित नाम "प्रज्ञा सेठिया" के नाम से ही जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(गरिमा सेठिया)	**(प्रज्ञा सेठिया)**
(Garima Sethiya)	(Pragya Sethiya)
	पुत्री– श्री कृष्णकांत सेठिया
(G-7396)	(D/o. Shri Krishnakant Sethiya).

नाम परिवर्तन

मेरा नाम वकार अहमद पिता मुख्तार (WAKAR AHMAD S/o. MUKHTAR), निवासी–पुरानी शिवपुरी, नजदीक मोमिन, मस्जिद, शिवपुरी (म.प्र.). मेरा आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम बकार अहमद पिता मुखतार अहमद (BAKAR AHAMAD S/o. MUKHATAR AHAMAD) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम मेरे निर्वाचन आयोग कार्ड व शैक्षणिक दस्तावेजों में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम वकार अहमद पिता मुख्तार (WAKAR AHMAD S/o. MUKHTAR) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(बकार अहमद)	**(वकार अहमद)**
(BAKAR AHAMAD)	(WAKAR AHMAD)
पिता– मुखतार अहमद	पिता– मुख्तार
(S/o. MUKHATAR AHAMAD)	(S/o. MUKHTAR).

(G-7397)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम नरेश जाटव पिता श्री मुकेश जाटव (NARESH JATAV S/o. MUKESH JATAV), निवासी– ग्राम पंचायत करप गावं, तहसील गाडरवारा, करापगांव, करेली, नरसिंहपुर (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम नरेन्द्र जाटव पिता श्री मुकेश जाटव (NARENDRA JATAV S/o. MUKESH JATAV) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का नाम नरेश जाटव पिता श्री मुकेश जाटव (NARESH JATAV S/o. MUKESH JATAV) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा जावे.

आवेदक

(मुकेश जाटव).

(G-7398)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम आस्था ठाकुर (ASTHA THAKUR) पत्नी श्री वेजेन्द्र पाल सिंह ठाकुर, निवासी– C–4/604, सौम्या फौरचून, हेरीटेज, होशंगाबाद रोड, भोपाल (म.प्र.). पूर्व में दस्तावेजों में मेरा नाम सिर्फ आस्मा ठाकुर है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे अब आस्था ठाकुर पत्नी वेजेन्द्र पाल सिंह ठाकुर के नाम से जाना–पहचानाजावे एवं मेरे सभी शासकीय अभिलेखों एवं दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(आस्मा ठाकुर)	**(आस्था ठाकुर)**
(ASMA THAKUR)	(ASTHA THAKUR)
	पत्नी– श्री वेजेन्द्र पाल सिंह ठाकुर.

(G-7399)

नाम परिवर्तन

मैं, सोर्यबली विश्वकर्मा (SORYBALI VISHWAKRMA) पिता श्री रामाश्रय विश्वकर्मा, निवासी–ग्राम गोवराव खुर्द, पोस्ट लगरगवां, तहसील उचेहरा, जिला सतना (म.प्र.). मेरा नाम सोर्यबली विश्वकर्मा (SORYBALI VISHWAKRMA) है. जबकि मेरे प्राथमिक एवं माध्यमिक शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम सूर्यबली विश्वकर्मा दर्ज है तथा कक्षा 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर आदि दस्तावेजों में सोर्यबली विश्वकर्मा (SORYBALI VISHWAKRMA) दर्ज है. उक्त दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं तथा मेरी पुत्री आसमा विश्वकर्मा जिसके समस्त दस्तोवजों में पिता के स्थान पर सूर्यबली विश्वकर्मा अंकित है जिसे त्रुटि सुधारकर (SORYBALI VISHWAKRMA) कराना चाहता हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त इसी नाम से जाना–पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(सूर्यबली विश्वकर्मा)	**(सोर्यबली विश्वकर्मा)**
	(SORYBALI VISHWAKARMA).

(G-7400)

नाम परिवर्तन

मैं, अहमद खां मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश गलती से मेरा नाम सलीम (SALIM) अंकित हो गया है. अतः मेरे परिचय–पत्र में अहमद खां (AHMAD KHAN) सही नाम है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम अहमद खां (AHMAD KHAN) के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(सलीम)	**(अहमद खा)**
(SALIM)	**(AHMAD KHAN)**
	पता– सुमेर वार्री, जिला विदिशा (म.प्र.).

(G-7401)

नाम परिवर्तन

मैं, शुशीला जमरा मेरे आधार कार्ड में गलती से मेरा नाम शुशीला चौहान (SHUSHILA CHAUHAN) अंकित हो गया है. अतः मेरे परिचय–पत्र में शुशीला जमरा (SHUSHILA JAMRA) सही नाम है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम शुशीला जमरा (SHUSHILA JAMRA) के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(शुशीला चौहान)	**(शुशीला जमरा)**
(SHUSHILA CHAUHAN)	**(SHUSHILA JAMRA)**
	पता– निवासी– 130, कोतवाल, मेंढा, चंद्रशेखर आजाद नगर, अलीराजपुर (म.प्र.).

(G-7402)

नाम परिवर्तन

मैं, राम दास विश्वकर्मा मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरे पुत्र का नाम शिवाश (SHIWASH) गलत दर्ज हो गया है. मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र और शैक्षणिक दस्तावेजों में देवांश विश्वकर्मा (DEVANSH VISHWAKARMA) सही नाम दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का सही नाम देवांश विश्वकर्मा (DEVANSH VISHWAKARMA) के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा–पढ़ा एवं दर्ज़ किया जावे.

आवेदक

(राम दास विश्वकर्मा)

पता– ग्राम हिरनखेड़ा, सागर (म.प्र.).

(G-7403)

नाम परिवर्तन

मैं, राम बाई मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम रामबती कटारे (RAMBATI KATARE) अंकित हो गया है. मेरे स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र, परिचय–पत्र में राम बाई (RAM BAI) सही नाम दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम राम बाई (RAM BAI) के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(रामबती कटारे)	**(राम बाई)**
(RAMBATI KATARE)	**(RAM BAI)**
	पति– किशन
	पता– वार्ड नं. 34, मेन रोड, दुर्गा नगर, जिला विदिशा (म.प्र.).

(G-7404)

नाम परिवर्तन

मैं, राजू राजपूत मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश से मेरा नाम शिलपत राव (SHILPAT RAO) गलत दर्ज हो गया है. मेरे स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र, पैन कार्ड में राजू राजपूत (RAJU RAJPOOT) सही नाम दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम राजू राजपूत (RAJU RAJPOOT) के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(शिलपत राव)	**(राजू राजपूत)**
(SHILPAT RAO)	**(RAJU RAJPOOT)**
	पता– किले के अंदर, द्वारकाधीश मंदिर के पास, वार्ड नं. 04, चंद्रशेखर आजाद, जिला विदिशा (म.प्र.).

(G-7405)

नाम परिवर्तन

मैं, रमेश कुमार किरार मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरी पुत्री का नाम तनवी किरार (TANVI KIRAR) गलत दर्ज हो गया है. मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण–पत्र और शैक्षणिक दस्तावेजों में काजल किरार (KAJAL KIRAR) सही नाम दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री का सही नाम काजल किरार (KAJAL KIRAR) के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक

(रमेश कुमार किरार)

पता– ग्राम बाबेर, पोस्ट चांदपुर, तह. गैरतगंज, बाबरे, रायसेन (म.प्र.).

(G-7406)

नाम परिवर्तन

मैं, जय किशन कुशवाहा पिता श्री शिशुपाल कुशवाहा (JAY KISHAN KUSHWAHA S/o. SHISHUPAL KUSHWAHA), निवासी– मकान नं.–4667, लालघाटी, संतोषी माता मंदिर के पास, बरेला, भोपाल (म.प्र.). मेरी 10वीं की अंकसूची में मेरा नाम जयकिशन (JAYKISHAN) दर्ज हो गया है, जबकि मेरा सही नाम पैन कार्ड, आधार कार्ड में जय किशन कुशवाहा (JAY KISHAN KUSHWAHA) अंकित है, दोनों नाम स्वयं के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे जय किशन कुशवाहा पिता श्री शिशुपाल कुशवाहा (JAY KISHAN KUSHWAHA S/o. SHISHUPAL KUSHWAHA) के नाम से जाना जावे एवं पहचाना व शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(जयकिशन)	**(जय किशन कुशवाहा)**
(JAYKISHAN)	**(JAY KISHAN KUSHWAHA)**
	पिता– शिशुपाल कुशवाहा.

(G-7407)

नाम परिवर्तन

मैं, अजय कुमार भास्कर पुत्र नाथू राम भास्कर, निवासी–वार्ड 39, शांति नगर, जिला शिवपुरी (म.प्र.). मेरे पी.एफ. 3010279 में त्रुटिवश मेरे द्वारा मेरी पत्नी का नाम सुमन भास्कर (SUMAN BHASKAR) दर्ज हो गया है, जबकि मेरी पत्नी का सही नाम सुमन सत्यार्थी (SUMAN SATYARTHI) है, जो कि उनके आधार कार्ड एवं अन्य सभी दस्तावेजों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में मेरी पत्नी का सही नाम सुमन सत्यार्थी (SUMAN SATYARTHI) पत्नी अजय कुमार भास्कर के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(अजय कुमार भास्कर)
पुत्र– नाथू राम भास्कर.

(G-7408)

नाम परिवर्तन

मैं, निकिता बंजारा पुत्री श्री बाबूलाल बंजारा, निवासी–ग्राम खडकपुर, पोस्ट झागर, जिला गुना (म.प्र.). मेरा सही नाम निकिता बंजारा (Nikita Banjara) है. आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम निक्की बाई (Nikki Bai) अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम निकिता बंजारा (Nikita Banjara) से जाना–पहचाना जावे एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा यही नाम रहेगा.

पुराना नाम	नया नाम
(निक्की बाई)	**(निकिता बंजारा)**
(Nikki Bai)	(Nikita Banjara).

(G-7409)

नाम परिवर्तन

मैं, पुष्पराज सिंह, निवासी– फ्लैट क्र. 501, बी ब्लॉक कल्याणी कुंज, खजूरीकला, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरे पुत्र का नाम शिवम सिंह (Shivam Singh) है. आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरे पुत्र का नाम शिवन सिंह (Shivan Singh) अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा पुत्र अपने सही नाम शिवम सिंह (Shivam Singh) के नाम से जाना–पहचाना जायेगा एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरे पुत्र का यही नाम रहेगा.

आवेदक

(पुष्पराज सिंह).

(G-7410)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री जीतिशा व्यास (Jitisha Vyas) पिता श्री निशांत व्यास के इलाहाबाद बैंक में पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड, कोटक महिंद्रा बैंक में बचत खाता, राशन कार्ड एवं समग्र आई.डी., में नाम जीतिशा व्यास (Jitisha Vyas) पुत्री श्री निशांत व्यास दर्ज चला आ रहा है व जन्म प्रमाण–पत्र में नाम देवयानी व्यास (Devyani Vyas) पुत्री श्री निशांत व्यास दर्ज चला आ रहा है, जो कि एक ही व्यक्ति के नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरी पुत्री के समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में देवयानी व्यास (Devyani Vyas) पुत्री श्री निशांत व्यास के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा जावे.

आवेदक

(G-7411) **(निशांत व्यास).**

नाम परिवर्तन

मेरा पूर्व में नाम सचिन दुवे जो कि मेरे द्वारा सन्यास उपरान्त परिवर्तित कर प्रेमदास काठिया पिता श्री महंत ओंकारदास काठिया कर लिया गया है तथा मुझे इसी नाम से संबोधित किया जाता है एवं मुझे उक्त नवीन नाम प्रेमदास काठिया से संबोधित किया जाता है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मुझे सही नाम प्रेमदास काठिया के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(प्रेमदास कठिया).

(G-7412)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम बलराम चौहान (BALRAM CHOUHAN) पिता मोहन दास चौहान, निवासी– मकान नं. 60, वार्ड न 06, ग्राम फरीदपुर, पोस्ट बाबडीया भाऊ, तहसील सिवनी मालवा, जिला होशंगाबाद (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड, में त्रुटिवश बल (BAL) नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम बलराम चौहान (BALRAM CHOUHAN) पिता मोहन दास चौहान है जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही नाम बलराम चौहान (BALRAM CHOUHAN) पिता मोहन दास चौहान के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(बल)	**(बलराम चौहान)**
(BAL)	(BALRAM CHOUHAN).

(G-7413)

उपनाम परिवर्तन

मेरा सही नाम संतोष कुमार (SANTOSH KUMAR) पिता ठाकुर सिंह, निवासी–5, विदिशा रोड़, वार्ड 67, मालीखेड़ी हुजूर, भोपाल जी.पी.ओ, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरे पैन कार्ड, व अन्य दस्तावेजों में त्रुटिवश संतोष मेहरा (SANTOSH MEHRA) नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरा नाम संतोष कुमार (SANTOSH KUMAR) पिता ठाकुर सिंह है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में नये नाम संतोष कुमार (SANTOSH KUMAR) पिता ठाकुर सिंह के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(संतोष मेहरा)	**(संतोष कुमार)**
(SANTOSH MEHRA)	(SANTOSH KUMAR).

(G-7414)

नाम परिवर्तन

मैं, इमरान खान पिता वाहिद खान, निवासी– ग्राम ठीकारी, समनापुर कला, तह. गौहरगंज, ठीकरी, गौहरगंज, जिला रायसेन (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश सिमरा खान (SIMARA KHAN) नाम दर्ज हो गया है, जिसे सुधारकर मैंने मेरी पुत्री का नाम जीनत (JEENAT) पिता इमरान खान रख लिया है, मेरी पुत्री के शैक्षणिक दस्तावेजों में जीनत (JEENAT) नाम दर्ज है, जो कि सही हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरी पुत्री के सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही नाम जीनत (JEENAT) से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(सिमरा खान)	**(जीनत)**
(SIMARA KHAN)	(JEENAT).

(G-7415)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का सही नाम दीपांशु (DIPANSHU) पिता प्रहलाद सिंह है, जो कि उसके जन्म प्रमाण–पत्र में अंकित है, किन्तु मेरे पुत्र के आधार कार्ड पर त्रुटिवश उसका नाम दीपक (DEEPAK) पिता प्रहलाद सिंह दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे पुत्र को सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही नाम दीपांशु (DIPANSHU) पिता प्रहलाद सिंह से जाना व पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(प्रहलाद सिंह)
पता– मकान नं. 130, टकपुरा, पोस्ट अडोखर,
तहसील मेहगॉव, जिला भिण्ड (म.प्र.).

(G-7416)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम नितेश कुमार (NITESH KUMAR) पिता भुवन लाल, निवासी– रमा पोस्ट रमा, रामा, राम, भिंड जिला भिंड (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड, व अन्य दस्तावेजों में त्रुटिवश अनिल यादव (ANIL YADAV) नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत नाम है. मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम नितेश कुमार (NITESH KUMAR) पिता भुवन लाल है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में नये नाम नितेश कुमार (NITESH KUMAR) पिता भुवन लाल के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(अनिल यादव)	**(नितेश कुमार)**
(ANIL YADAV)	(NITESH KUMAR).

(G-7417)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम सुगरब सिंह (SUGARB SINGH) पिता बद्री प्रसाद, निवासी– 357, किरतपुरा, गोहद, तहसील गोहद, जिला भिण्ड (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड, मे त्रुटिवश सुगर सिंह (SUGAR SINGH) नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम सुगरब सिंह (SUGARB SINGH) पिता बद्री प्रसाद है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में नये नाम सुगरब सिंह (SUGARB SINGH) पिता बद्री प्रसाद के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(सुगर सिंह)	**(सुगरब सिंह)**
(SUGAR SINGH)	(SUGARB SINGH).

(G-7418)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम नानकी उत्तमचंदानी है, जो कि मेरे ज्यादातर दस्तावेजों पर भी लिखा हुआ है, किन्तु मेरे आधार कार्ड पर मेरा नाम नादिया मसंद लिखा हुआ है, जो कि मेरा गलत नाम है. अतः प्रकाशन उपरान्त आधार कार्ड सहित मेरे सभी दस्तावेजों पर मेरा सही नाम नानकी उत्तमचंदानी के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(नादिया मसंद)

नया नाम

(नानकी उत्तमचंदानी)
पता– म.नं. 28, कान्हा, पार्ट–2, स्कीम नं. 78,
जिला इन्दौर (म.प्र.).

(G-7419)

CHANGE OF SURNAME

I, Hereby declare that I have changed my name from Vaibhav Kumar Modi To Vaibhav Jain. Henceforth I, shall be known, read and written as Vaibhav Jain for all purposes.

Old Name

(Vaibhav Kumar Modi)

New Name

(Vaibhav Jain)
Add.- T4-T6, Third Floor, Deep Towar,
Pt. Bhawani Prasad Tiwari Ward,
Gole Bazar, Jabalpur (M.P.).

(G-7420)

नाम परिवर्तन

पहले मुझे सारिका नाड़िया के नाम से जाना जाता था, अब मैंने मेरा नाम बदलकर समीरा बी पति अमीर खान कर लिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम समीरा बी पति अमीर खान के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(सारिका नाड़िया)
(Sarika Nadiya)

नया नाम

(समीरा बी)
(Samira Bee)
पति– अमीर खान
(W/o. Amir Khan)
पता– बेटमा खुर्द, पोस्ट बेटमा,
जिला इन्दौर (म.प्र.).

(G-7421)

नाम परिवर्तन

मेरा पुत्र अर्जुन बघेल पुत्र प्रकाश बघेल, निवासी– बस स्टैण्ड बीजोनी, बीजोनी पोस्ट, बीजोनी जिला शिवपुरी (म.प्र.) के जन्म प्रमाण–पत्र से लेकर शैक्षणिक दस्तावेजों में अर्जुन बघेल पुत्र प्रकाश बघेल दर्ज है. वर्तमान में भी मेरा पुत्र अर्जुन बघेल पुत्र प्रकाश बघेल के नाम से जाना–पहचाना जाता है, त्रुटिवश आधार कार्ड में अर्जुन सिंह पुत्र प्रकाश बघेल अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को अर्जुन बघेल पुत्र प्रकाश बघेल के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(प्रकाश बघेल).

(G-7422)

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that in the Partnership Firm M/S. PK Shukla Registered office at F. No. 04, 129 Malviya Nagar, Huzur, Bhopal (M.P.)-462003 and Registration No. is 01/01/01/0031/25 dated 28/04/2025, which was constituted vide Partnership deed executed on 15/06/2018. In this Partnership firm subsequentaly following changes have occurred on 05/12/2025, 1. Parth Chaturvedi S/o. Shri Rajesh Kumar Chaturvedi and 2. Amit Yadav S/o. Shri Rajkumar Yadav has voluntarily retired from the Partnership firm and 1. Shri Aditya Malpani S/o. Shri. G. D. Malpani, and 2. Shri Pratik Mishra S/o. Shri Lalit Mishra have joined the firm as a new partner. All the partners have decided to that changes the address of firm From F. No. 04, 129 Malviya Nagar, Huzur, Bhopal (M.P.)-462003 To "204 President Plaza, 166 R.N.T. Marg, Indore, (M.P.)-452001" w.e.f. 05/12/2025. Now 1. Shri Ashutosh Chaturvedi, 2. Shri Aditya Malpani, and 3. Shri Pratik Mishra are the running Partners of the Partnership firm.

M/S. P K Shukla

ASHUTOSH CHTURVEDI
(Partner).

(G-7423)

नाम परिवर्तन

पहले मेरी पुत्री को ताहेबा तेली के नाम से जाना जाता था, मैंने मेरी पुत्री का नाम बदलकर तैबा बी पिता तोसीफ खान कर दिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को तैबा बी पिता तोसीफ खान के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(तोसीफ खान)
पिता– युसुफ खान
पता– 174, खजरानी, कांकड, इन्दौर (म.प्र.).

(G-7424)

नाम परिवर्तन

पहले मेरे पुत्र का नाम राजा ग्वाले था, मैंने मेरे पुत्र का नाम बदलकर राज ग्वाले पिता राकेश ग्वाले कर दिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को राज ग्वाले पिता राकेश ग्वाले के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(राकेश ग्वाले)
पिता– कचरूलाल ग्वाले
पता– ग्राम धुंध्याखेड़ी, तहसील खातेगांव,
जिला देवास (म.प्र.).

(G-7425)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स एम्. एस. मिनरल्म, पता – 02, विशाल काम्प्लेक्स, गांधीग्राम, सिहोरा (म.प्र.) एक भागीदार फर्म है. जिसमें फर्म के भागीदार दीपेश ठाकुर पिता श्री शिव शंकर ठाकुर, पता – 374, विकास नगर, कृषि उपज मंडी के पीछे, विजय नगर, जबलपुर दिनांक 06–09–2022 से भागीदारी फर्म से विलग हो गए हैं एवं अन्य भागीदार सुशील कुमार यादव पिता श्री धन्नू प्रसाद यादव, पता– अगरिया, टिकरिया, पोस्ट मझगवां, तहसील सिहोरा, जबलपुर को भागीदारी फर्म में भागीदार के रूप में दिनांक 06–09–2022 से शामिल किया गया है.

मेसर्स एम्. एस. मिनरल्म

मनोज मिश्रा
(भागीदार).

(G-7426)

उपनाम परिवर्तन

मेरा सही उपनाम राधा गर्ग है जो मेरे समस्त दस्तावेजों पर भी लिखा हुआ है, किन्तु कुछ दस्तावेज में मेरा उपनाम भूल या त्रुटिवश राधा अग्रवाल लिखा गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे समस्त शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मेरा सही उपनाम राधा गर्ग ही लिखा व पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(राधा अग्रवाल)
पति– अशोक अग्रवाल

नया नाम

(राधा गर्ग)
पति– अशोक गर्ग
पता– 2483, महेश राम रोड, गोकुलगंज,
महू, जिला इन्दौर (म.प्र.).

(G-7427)

नाम परिवर्तन

मैं, रवि पिता मोहन सिंह, निवासी– ग्राम हासलपुर, तहसील महू, जिला इन्दौर (म.प्र.). मैंने अपने पुत्र का नाम मोंटी ठाकुर से बदलकर माधव ठाकुर (MADHAV THAKUR) कर लिया है, आगे से मेरे पुत्र को उसके नए नाम माधव ठाकुर (MADHAV THAKUR) से ही जाना एवं पहचाना जावे.

आवेदक

(रवि)
पिता– मोहन सिंह
पता– ग्राम हासलपुर, तहसील महू
जिला इन्दौर (म.प्र.).

(G-7428)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम शबीना बी है, जो मेरे समस्त दस्तावेजों में भी लिखा हुआ है, किन्तु मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम शबनम पठान लिखा हुआ है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे समस्त शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम सहित व सही नाम शबीना बी ही लिखा व पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(शबनम पठान)
(SHABNAM PATHAN)

नया नाम

(शबीना बी)
(SABEENA BEE)
पता– पुष्पकुंज कालोनी, इटावा,
जिला देवास (म.प्र.).

(G-7429)

नाम परिवर्तन

मेरे शासकीय दस्तावेज़ जैसे पैन कार्ड, बैंक पासबुक में मेरा सय्यद कदीर उद्दीन (SYED QUDEER UDDIN) आत्मज श्री सय्यद सईद उद्दीन (SYED SAEED UDDIN) है मेरी रेल्वे/सर्विस पुस्तिका में मेरा नाम कदीर उद्दीन सय्यद (QADEER UDDIN SYED) आत्मज श्री सईद उद्दीन सय्यद (SAEED UDDIN SYED) है. अतः प्रकाशन उपरान्त सय्यद कदीर उद्दीन (SYED QUDEER UDDIN) आत्मज श्री सय्यद सईद उद्दीन (SYED SAEED UDDIN) के नाम से जाना एवं पहचाना जावेगा.

पुराना नाम

(कदीर उद्दीन सय्यद)
(QADEER UDDIN SYED)
आत्मज– श्री सईद उद्दीन सय्यद
(SAEED UDDIN SYED)

नया नाम

(सय्यद कदीर उद्दीन)
(SYED SAEED UDDIN)
आत्मज– श्री सय्यद सईद उद्दीन
(SYED SAEED UDDIN).

(G-7430)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का नाम बाबू अहिरवार (BABU AHIRWAR) है, जो कि उसके जन्म प्रमाण–पत्र में अंकित है, जिसे बदलकर मैंने अपने पुत्र का नया नाम से अर्जुन अहिरवार (ARJUN AHIRWAR) रख लिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे पुत्र को अर्जुन अहिरवार (ARJUN AHIRWAR) के नाम से जाना व पहचाना जावे.

आवेदक

(भगवान दास अहिरवार)
आत्मज– श्री कटुआ अहिरवार
पता– पोस्ट दोनी, नैगुवा, छतरपुर (म.प्र.).

(G-7431)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स सिमेन्ट पाइप एण्ड पोल्स, पता प्लॉट नं. 64–65, इण्डस्ट्रीयल एरिया, मक्सी रोड, वार्ड नं. 40. उज्जैन (म. प्र.) पंजीयन क्रमांक 851 दिनांक 27/01/1989 है. जिसमें दिनांक 01/05/2025 को फर्म का नाम मेसर्स सिमेन्ट पाइप एण्ड पोल्स परिवर्तन कर फर्म का नवीन नाम CEMENT PIPES AND POLES किया गया है. तथा जिसमें दिनांक 01/05/2025 को फर्म का पता प्लॉट नं. 64–65, इण्डस्ट्रीयल एरिया, मक्सी रोड, वार्ड नं. 40, उज्जैन (म.प्र.) के स्थान पर नवीन पता 64–65, Industrial Area, Maksi Road, Ujjain (M.P.) पर हो गया है. वर्तमान में फर्म CEMENT PIPES AND POLES, Address 64-65, Industrial Area, Maksi Road, Ujjain (M.P.) नवीन नाम व पते से ही कार्य करेगी तथा जिसमें दिनांक 01/05/2025 को विनीत जिन्दल पिता स्व. श्री कृष्ण कुमार जी जिन्दल, पता 55, दशहरा मैदान, उज्जैन, तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन (म.प्र.) को नये भागीदार के रूप में फर्म CEMENT PIPES AND POLES, Address 64-65, Industrial Area, Maksi Road, Ujjain (M.P.) में प्रवेश हुआ है. वर्तमान में इस फर्म CEMENT PIPES AND POLES में निम्न भागीदार रहेंगे.

फर्म– मेसर्स सिमेन्ट पाइप एण्ड पोल्स,

1. **मधु जिन्दल**
2. **अमित जिन्दल**
3. **विनीत जिन्दल**

(भागीदार).

(G-7432)

नाम परिवर्तन

मेरे समस्त दस्तावेजों आधार कार्ड, पैन कार्ड मेरा नाम हैदर खॉन (HAIDAR KHAN) है मेरी रेल्वे/सर्विस पुस्तिका में मेरा नाम हैदर खॉन (HYDER KHAN) है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे हैदर खॉन (HAIDAR KHAN) के नाम से जाना एवं पहचाना जावेगा.

पुराना नाम	नया नाम
(हैदर खॉन)	**(हैदर खॉन)**
(HYDER KHAN)	(HAIDAR KHAN).

(G-7433)

नाम परिवर्तन

मेरे शासकीय दस्तावेजों जैसे हॉयर सेकेण्डरी कक्षा की अंकसूची में मेरा नाम जानकी बल्लभ शरण त्रिपाठी (JANKI BALLABH SHARAN TRIPATHI) है मेरी रेल्वे/सर्विस पुस्तिका में मेरा नाम जानकी बल्लभ सरन त्रिपाठी (JANKI BALLABH SARAN TRIPATHI) है. अतः प्रकाशन उपरान्त जानकी बल्लभ शरण त्रिपाठी (JANKI BALLABH SHARAN TRIPATHI) के नाम से जाना एवं पहचाना जाऊंगा.

पुराना नाम	नया नाम
(जानकी बल्लभ सरन त्रिपाठी)	**(जानकी बल्लभ शरण त्रिपाठी)**
(JANKI BALLABH SARAN TRIPATHI)	(JANKI BALLABH SHARAN TRIPATHI).

(G-7434)

नाम परिवर्तन

मैं, शैलेन्द्र धाकड़ पिता श्री मुकेश धाकड़ माता श्रीमती रामदुलारी धाकड़, निवासी–खोजरपुरा, रातोर, रातोर, पिपरसामा, शिवपुरी (म.प्र.). मेरे स्वयं के आधार कार्ड में मेरा पूरा नाम मनोहर धाकड़ लिखा हुआ है, जो कि गलत है. मेरा स्वयं का पूरा नाम शैलेन्द्र धाकड़ पिता श्री मुकेश धाकड़ है, जो कि सही है और जन्म प्रमाण–पत्र, अंकसूची में भी यही लिखा हुआ है और मुझे इसी नाम से जाना–पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(मनोहर धाकड़)

नया नाम

(शैलेद्र धाकड़)
पिता– श्री मुकेश धाकड़.

(G-7435)

नाम परिवर्तन

मैं, सत्यनारायण शर्मा (SATYANARAYAN SHARMA) पुत्र श्री सरवन लाल शर्मा, मेरा नाम सत्यनारायण शर्मा है, जबकि मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम गलती से इंग्लिश और हिंदी में सयनारायण शर्मा (SAYANARAYAN SHARMA) लिख गया है, जो कि गलत है, जबकि वर्तमान एवं भविष्य में सत्यनारायण शर्मा पुत्र श्री सरवन लाल शर्मा के नाम से जाना–पहचाना जाता हूँ. जो मेरे शासकीय, अर्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. सत्यनारायण शर्मा एवं सयनारायण शर्मा दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम इंग्लिश और हिंदी में सयनारायण शर्मा (SAYANARAYAN SHARMA) के स्थान पर सत्यनारायण शर्मा (SATYANARAYAN SHARMA) लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(सयनारायण शर्मा)

नया नाम

(सत्यनारायण शर्मा)
पुत्र– श्री सरवन लाल शर्मा
पता– 03, वीरपुर, एम.एस. मार्ग,
जिला श्योपुर (म.प्र.).

(G-7436)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि M/s. JAY MAA PITAMBARA STONE CRUSHERS जो NEW AAMPURA, NEAR GITANJALI BHAWAN, MORENA, (M.P.) में स्थित है. जिसका पंजीयन क्र. 02/44/01/0382/21 एवं दिनांक 25/03/2021 है जिसमें दिनांक 01/03/2022 को श्री हरेन्द्र सिंह भदौरिया पुत्र श्री किशोर सिंह भदौरिया, निवासी – 157, पी एंट टी कॉलोनी, ठाठीपुर, ग्वालियर (म.प्र.) फर्म मे नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गए हैं एवं दिनांक 29/11/2025 को भागीदार श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण सिंह, निवासी 45, न्यू आमपुरा, मुरैना (म.प्र.) अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गए एवं इसी दिनांक 29/11/2025 को श्री उमेश परमार पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण परमार, निवासी– हाऊस नं. 34/325, गीतांजली भवन के पास, न्यू आमपुरा, मुरैना (म.प्र.) फर्म में नवीन भागीदार के रूप सम्मिलित हो गए हैं.

M/s. JAY MAA PITAMBARA STONE CRUSHERS

कुलदीप सिंह सिकरवार
(भागीदार)
Add.- NEW AAMPURA, NEAR GITANJALI
BHAWAN, MORENA (M.P.).

(G-7437)

नाम परिवर्तन

मैं, सगुन्तला देवी (SAGUNTALA DEVI) पत्नी श्री जगदीश श्रीवास, मेरा पूर्व का नाम शकुन्तला देवी (SHAKUNTALA DEVI) था, जो मेरे आधार कार्ड की इंग्लिश स्पेलिंग में लिखा गया है, जो कि गलत है, जबकि वर्तमान एवं भविष्य में सगुन्तला देवी पत्नी श्री जगदीश श्रीवास के नाम से जानी–पहचानी जाती हूँ, जो मेरे शासकीय, अर्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य दस्तावेजों में लिखा गया है. सगुन्तला देवी एवं शकुन्तला देवी दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम शकुन्तला देवी (SHAKUNTALA DEVI) के स्थान पर सगुन्तला देवी (SAGUNTALA DEVI) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(शकुन्तला देवी)

नया नाम

(सगुन्तला देवी)
पत्नी– श्री जगदीश श्रीवास
पता– 7/656, खजूरी रोड, गली नं. 05,
अम्बाह, मुरैना (म.प्र.).

(G-7438)

नाम परिवर्तन

मैं, राम बहादुर जाटव (RAM BAHADUR JATAV) पुत्र श्री सुकृतसाहिब, मेरा पूर्व का नाम सुदर्शन दास (SUDARSHAN DAS) था, जो मेरे आधार कार्ड में लिखा गया है, जो कि गलत है. जबकि वर्तमान एवं भविष्य में राम बहादुर जाटव पुत्र श्री सुकृतसाहिब के नाम से जाना–पहचाना जाता हूँ, जो मेरे शासकीय, अर्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य दस्तावेजों में लिखा गया है. राम बहादुर जाटव एवं सुदर्शन दास दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम सुदर्शन दास के स्थान पर राम बहादुर जाटव के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(सुदर्शन दास)

नया नाम

(राम बहादुर जाटव)
पुत्र– श्री सुकृतसाहिब
पता– ग्राम देवरी, पोस्ट मेहगांव, अजनोद्धा,
जिला भिण्ड (म.प्र.).

(G-7439)

नाम परिवर्तन

मैं, प्रेम बंसल (PREM BANSAL) पुत्र श्री अशोक कुमार बंसल, मेरा पूर्व का नाम शिवा बंसल (SHIVA BANSAL) था, जो मेरे आधार कार्ड में लिखा गया है, जो कि गलत है. जबकि वर्तमान एवं भविष्य में प्रेम बंसल पुत्र श्री अशोक कुमार बंसल के नाम से जाना–पहचाना जाता हूँ, जो मेरे शासकीय, अर्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. शिवा बंसल एवं प्रेम बंसल दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम शिवा बंसल के स्थान पर प्रेम बंसल के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(शिवा बंसल)

नया नाम

(प्रेम बंसल)
पुत्र– श्री अशोक कुमार बंसल
पता– 25 वार्ड नं. 7, गंज रोड, सबलगढ़,
जिला मुरैना (म.प्र.).

(G-7440)

नाम परिवर्तन

मैं, उपेन्द्र कुशवाह (UPENDRA KUSHWAH) पुत्र श्री रामनिवास, मेरा पूर्व का नाम भूपेन्द्र (BHOOPENDRA) था, जो मेरे आधार कार्ड में लिखा गया है, जो कि गलत है, जबकि वर्तमान एवं भविष्य में उपेन्द्र कुशवाह पुत्र श्री रामनिवास के नाम से जाना–पहचाना जाता हूँ. जो मेरे शासकीय, अर्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है, उपेन्द्र कुशवाह एवं भूपेन्द्र दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम भूपेन्द्र के स्थान पर उपेन्द्र कुशवाह के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(भूपेन्द्र)

नया नाम

(उपेन्द्र कुशवाह)
पुत्र– श्री रामनिवास
पता– गांव गोवरा, सबलगढ़, रामपुर कलां,
जिला मुरैना (म.प्र.).

(G-7441)

नाम परिवर्तन

मैं, गोपाली प्रजापति (GOPALI PRAJAPATI) पुत्र श्री हरिकान्त, मेरा नाम गोपाली प्रजापति है, जबकि मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम गोपाल (GOPAL) लिखा गया है, जो कि गलत है. जबकि वर्तमान एवं भविष्य में गोपाली प्रजापति पुत्र श्री हरिकान्त के नाम से जाना–पहचाना जाता हूँ, जो शासकीय, अर्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य दस्तावेजों में लिखा गया है. गोपाल एवं गोपाली प्रजापति दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम गोपाल के स्थान पर गोपाली प्रजापति के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(गोपाल)

नया नाम

(गोपाली प्रजापति)
पुत्र– श्री हरिकान्त
पता– पलपूरा, मिरगपुरा,
जिला मुरैना (म.प्र.).

(G-7442)

नाम परिवर्तन

मैं, शाहिद खान (SHAHID KHAN) पुत्र श्री रफीक खान, मेरी पुत्री का नाम सिमरन खान (SIMRAN KHAN) है, जबकि उसके आधार कार्ड में नाम आइशा खान (AISHA KHAN) लिखा गया है, जो कि गलत है, जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मेरी पुत्री को सिमरन खान के नाम से जाना–पहचाना जाता हैं. जो उसके शासकीय, अर्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य दस्तावेजों में लिखा गया है. सिमरन खान एवं आइशा खान दोनों मेरे ही पुत्री के नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को आइशा खान के स्थान पर सिमरन खान के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(शाहिद खान)
पता– किठोदा, पोस्ट सिंघारन,
जिला ग्वालियर (म.प्र.).

(G-7443)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम चित्रा भुरानी पति मुकेश भूरानी मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड में अंकित है. मेरी शादी के बाद मेरा नाम प्रिया भूरानी हो गया था. मेरा नाम परिवर्तित होकर चित्रा भूरानी हो गया है तथा मेरे आधार कार्ड में चित्रा भूरानी है. मेरा नाम प्रिया भूरानी एवं चित्रा भूरानी दोनों एक ही महिला के नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे चित्रा भूरानी के नाम से जाना–पहचाना जावे व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(प्रिया भूरानी)

नया नाम

(चित्रा भूरानी)

निवासी– 64, पुरानी सिंधी कालोनी,
बैरसिया रोड, भोपाल (म.प्र.).

(G-7444)

नाम परिवर्तन

मैं, देवेन्द्र तिवारी पुत्र श्री प्रेम नारायण तिवारी, निवासी– 4/1, लोकमान्य तिलक विद्यालय परिसर, ख्वाजा मार्ग, नील गंगा मार्ग, उज्जैन (म.प्र.). मेरी पुत्री के सभी दस्तावेजों में उसका नाम हषिका तिवारी (HASHIKA TIWARI) नाम दर्ज है, जिसे बदलकर शिप्रा तिवारी (SHIPRA TIWARI) किया जा रहा है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरी पुत्री के सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में नया नाम शिप्रा तिवारी (SHIPRA TIWARI) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(देवेन्द्र तिवारी)

पुत्र–श्री प्रेम नारायण तिवारी.

(G-7445)

नाम परिवर्तन

मैं, सचिव मिश्रा पुत्र श्री राकेश मिश्रा, निवासी– ग्राम डिघौल, पोस्ट ढेरा, जिला मउगंज (म.प्र.). मेरे कुछ दस्तावेजों में त्रुटिवश सचिन राकेश मिश्रा (SACHIN RAKESH MISHRA) एवं कही पर सचिन (SACHIN) नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरे अन्य सभी दस्तावेजों में सचिव मिश्रा (SACHIV MISHRA) पुत्र श्री राकेश मिश्रा नाम दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही नाम सचिव मिश्रा (SACHIV MISHRA) पुत्र श्री राकेश मिश्रा के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(सचिन राकेश मिश्रा/सचिन)
(SACHIN RAKESH MISHRA / SACHIN)

नया नाम

(सचिव मिश्रा)
(SACHIV MISHRA)
पुत्र– श्री राकेश मिश्रा.

(G-7446)

नाम परिवर्तन

मैं, कीर्ति कोरी पत्नी तरूण कोरी, निवासी– बी 06, अपेक्स बैंक कॉलोनी, ई–5, अरेरा कॉलोनी, हुजूर, भोपाल (म.प्र.). मेरे शासकीय अभिलेखों एवं कुछ दस्तावेजों में त्रुटिवश कीर्ति पंथी (KIRTI PANTHI) नाम दर्ज हो गया है, जबकि मेरे वोटर कार्ड में कीर्ति कोरी (KIRTI KORI) नाम दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही नाम कीर्ति कोरी (KIRTI KORI) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(कीर्ति पंथी)	**(कीर्ति कोरी)**
(KIRTI PANTHI)	(KIRTI KORI)

(G-7447)

नाम परिवर्तन

मैं, देवचन्द जायसवाल (devchand jayaswal), मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम देवचन्द अंकित है तथा कुछ दस्तावेजों में देवेन्द्र जायसवाल (कलाल) अंकित है. देवचन्द, देवेंद्र एवं देवेंद्र जायसवाल (कलाल) मेरे स्वयं के नाम है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे सही शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मुझे देवचन्द के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(देवेंद्र जायसवाल)	**(देवचन्द)**
	पता– सवजी 538 स्कीम नं. 114,
	पार्ट–2, गुलाब बाग, इन्दौर (म.प्र.).

(G-7448)

नाम परिवर्तन

मैं, राय सिंह नरवरिया (Ray Singh Narvariya) पुत्र श्री लाल सिंह हूँ. मेरी पुत्री पूर्वी (Poorvi) जिसके आधार कार्ड में उसका नाम खुशबू (Khushbu) पुत्री अनुरूद्ध सिंह (Anuruddh Singh) दर्ज है, किन्तु मेरी पुत्री के अन्य दस्तावेजों में उसका सही नाम पूर्वी (Poorvi) पुत्री राय सिंह नरवरिया (Ray Singh Narvariya) दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्री को पूर्वी (Poorvi) पुत्री राय सिंह नरवरिया (Ray Singh Narvariya) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(राय सिंह नरवरिया)

(Ray Singh Narvariya)

पता– असोखर, नुन्हाड़,

जिला भिण्ड (म.प्र.).

(G-7449)

नाम परिवर्तन

मैं, वंदना बघेल (Vandana Baghel) पुत्री दिनेश बघेल (Dinesh Baghel), मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम आशा (Asha) पुत्री दिनेश (Dinesh) दर्ज है, किन्तु मेरे अन्य समस्त दस्तावेजों में मेरा सही नाम वंदना बघेल (Vandana Baghel) पुत्री दिनेश बघेल (Dinesh Baghel) दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे वंदना बघेल (Vandana Baghel) पुत्री दिनेश बघेल (Dinesh Baghel) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

प्रार्थिनी

(वंदना बघेल)

(Vandana Baghel)

पता– ग्राम कराहिया, मट मोहल्ला,

तहसील चीनोर, जिला ग्वालियर (म.प्र.).

(G-7450)

नाम परिवर्तन

मैं, सुनील बघेल (Suneel Baghel) पुत्र कल्याण सिंह बघेल, मेरी पुत्री अनुष्का बघेल (Anushka Baghel), जिसके आधार कार्ड में उसका नाम पिंकी (Pinkee) पुत्री सुनील बघेल (Suneel Baghel) दर्ज है, किन्तु मेरी पुत्री के शैक्षणिक दस्तावेजों एवं अन्य दस्तावेजों में उसका सही नाम अनुष्का बघेल (Anushka Baghel) पुत्री सुनील बघेल (Suneel Baghel) दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को अनुष्का बघेल (Anushka Baghel) पुत्री सुनील बघेल (Suneel Baghel) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(सुनील बघेल)

(Suneel Baghel)

पता– माता मोहल्ला, करहिया,

जिला ग्वालियर (म.प्र.).

(G-7451)

नाम परिवर्तन

मैं, पिंकी राजपूत पत्नी नारायन सिंह, निवासी–वार्ड 08, भिलाई कटिया, घंसौर, सिवनी (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम प्रियंका दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. जबकि मेरे जन्म प्रमाण–पत्र में मेरा नाम पिंकी राजपूत दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही नाम पिंकी राजपूत पत्नी नारायन सिंह के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(प्रियंका)

नया नाम

(पिंकी राजपूत).

(G-7452)

नाम परिवर्तन

मैं, सीकेन्द्र सिंह राजपूत, निवासी– ग्राम अजीजपुर, पोस्ट पटलावाडा, तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार में त्रुटिवश रीता राजपूत (RITA RAJPUT) नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि उसके जन्म प्रमाण–पत्र एवं शैक्षिणक दस्तावेजों में निता (NITA) नाम दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरी पुत्री के सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में निता (NITA) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(G-7453) **(सीकेन्द्र सिंह राजपूत).**

नाम परिवर्तन

मैं, मुकेश कुमार जाट पुत्र बद्रिलाल, निवासी–गुराडिया, बड़ा जवार, जिला सीहोर (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश अयांश AYANSH नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र में रविजीत सिंह (RAVIJEET SINGH) नाम दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र के सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही नाम रविजीत सिंह (RAVIJEET SINGH) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(मुकेश कुमार जाट)

(G-7454) पुत्र– बद्रिलाल.

नाम परिवर्तन

मैं, भाग्य देवी पत्नी सुरेश, निवासी–610, ग्राम मछण्ड, मिहोना, भिण्ड (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश श्रीमती भाग देवी दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरे वोटर कार्ड में भाग्य देवी पत्नी सुरेश नाम दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही नाम भाग्य देवी पत्नी सुरेश के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(भाग देवी)	**(भाग्य देवी).**

(G-7455)

नाम परिवर्तन

मैं, शाहजहां पत्नी राजा मियां, निवासी ग्राम बरखेड़ा बोंदर, हुजूर, भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम शगुफ्ता (SHAGUFTA) नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरे वोटर कार्ड, राशन कार्ड एवं जाति प्रमाण–पत्र में शाहजहां (SHAHAJHAN) नाम दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही नाम शाहजहां (SHAHAJHAN) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(शगुप्ता)	**(शाहजहां)**
(SHAGUFTA)	(SHAHAJHAN).

(G-7456)

नाम परिवर्तन

मैं, प्रेम सिंह पुत्र हरिनारायण, निवासी– 169–ग, इन्दिरा कालोनी, मकान नम्बर 154, आष्टा, सीहोर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में रवि पुत्र कान्ति लाल नाम दर्ज हो गया है, जबकि मेरे वोटर कार्ड में प्रेम सिंह पुत्र हरिनारायण नाम दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही नाम प्रेम सिंह पुत्र हरिनारायण के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(रवि)	**(प्रेम सिंह)**
पुत्र– कान्ति लाल	पुत्र– हरिनारायण.

(G-7457)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि साझेदारी फर्म, जिसका पूर्व में नाम 'आदित्य ट्रेडिंग', पता–102, श्री महालक्ष्मी पैलेस, स्नेहलता गंज, इंदौर (म.प्र.) जिसका पंजीकरण क्र. 03/27/01/0158/17 है, तथा उक्त फर्म का GST No-23ABJFA1523A1ZB है, का नाम बदलकर अब 'आराध्या इंटरनेशनल' रखा गया है. उक्त नाम परिवर्तन साझेदारों की आपसी सहमति से किया गया है तथा भविष्य में फर्म का समस्त व्यवसाय नये नाम 'आराध्या इंटरनेशनल' से ही संचालित किया जावेगा तथा फर्म के साझेदार एवं पता में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है. सभी साझेदार यथावत् (जैसे पहले थे वैसे ही) बने रहेंगे. जिसके संबंध में किसी भी व्यक्ति, संस्था, वित्तिय निकाय, शासन अथवा बैंक आदि को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह सप्रमाण अपनी लिखित आपत्ति इस जाहिर सचना के प्रकाशन के 7 दिवस की अवधि में मय दस्तावेजों के मेरे कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा उक्त समयावधि के पश्चात् किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य एवं बंधनकारक नहीं होगी.

For- ADITYA TRADING

1. ATULMEHTA

2. LAKHAN TIWARI

(PARTNER).

(G-7458)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती रश्मिता कोसे पत्नी श्री राजेश कोसे, निवासी–एल.आई. जी 530, फेस– 5, पार्ट–2 अयोध्या बायपास रोड, अयोध्या नगर, भोपाल (म.प्र.). मेरा नाम विवाह के पूर्व कंचन कोसे था और विवाह के पश्चात् मेरा नाम परिवर्तित कर रश्मिता कोसे हो गया है. मेरा एक पुत्र सिंदल राज कोसे एवं एक पुत्री गुंजन कोसे है. इन दोनों की अंकसूची में भी मेरा नाम रश्मिता कोसे लिखा हुआ है, किन्तु मेरे आधार कार्ड में कंचन कोसे लिखा गया है. इस कारण आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं निर्वाचन कार्ड में भूलवश कंचन कोसे लिखा गया है, जबकि मुझे रश्मिता कोसे के नाम से ही जाना–पहचाना जाता है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे कंचन कोसे के स्थान पर रश्मिता कोसे के नाम से ही जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(कंचन कोसे)	**(रश्मिता कोसे).**

(G-7459)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का नाम Lily Patidar है, जिसे परिवर्तित कर उसका नाम अब Radhika Patidar हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरी पुत्री को राधिका पाटीदार Radhika Patidar नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(धनराज पाटीदार)

पता– ग्राम रापडिया, तहसील हुजूर,

जिला भोपाल (म.प्र.).

(G-7460)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम यशोदा पति प्रहलाद, निवासी– 365, वार्ड क्र. 13, बस स्टैंड के पास, बाबई बागरा रोड, ग्राम मानागांव, पोस्ट आफिस, इटारसी, तहसील माखन नगर, जिला नर्मदापुरम (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश जशोदा बाई कहार पति पहलाद कहार (JASHODA BAI KAHAR W/o. PAHLAD KAHAR) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरे वोटर आई.डी. कार्ड में मेरा सही नाम यशोदा पति प्रहलाद (YASHODA W/o. PRAHLAD) दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे यशोदा पति प्रहलाद (YASHODA W/o. PRAHLAD) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(जशोदा बाई कहार)	**(यशोदा)**
(JASHODA BAI KAHAR)	YASHODA
पति– पहलाद कहार	पति– प्रहलाद
(W/o. PAHLAD KAHAR)	(W/o. PRAHLAD).

(G-7461)

नाम परिवर्तन

मैं, रामसागर हरीजन पिता रघुवर हरीजन, निवासी– टी.टी. नगर, ग्राम मांगरोल, तहसील बरेली, जिला रायसेन (म.प्र.). मेरे पुत्र का सही नाम विक्रम पिता रामसागर हरीजन (VIKRAM S/o. RAMSAGAR HARIJAN) है. मेरे पुत्र का नाम उसके आधार कार्ड में त्रुटिवश Amit Harijan पिता रामसागर हरीजन (Amit Harijan S/o. RAMSAGAR HARIJAN) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र में उसका सही नाम विक्रम पिता रामसागर हरीजन (VIKRAM S/o. RAMSAGAR HARIJAN) दर्ज हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को नाम विक्रम पिता रामसागर हरीजन (VIKRAM S/o. RAMSAGAR HARIJAN) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(रामसागर हरीजन).

(G-7462)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र को पूर्व में पुर्वेश (Purvesh) के नाम से जाना जाता था. पुर्वेश और ओम चौधरी दोनों मेरे पुत्र के नाम हैं. मेरे पुत्र के शासकीय/अर्धशासकीय दस्तावेजों में मेरे पुत्र का नाम ओम चौधरी दर्ज है. जन्म प्रमाण–पत्र में मेरे पुत्र का नाम पुर्वेश है तथा मेरा नाम संगीता है, जिसे परिवर्तित कर मेरे पुत्र का नाम ओम चौधरी (OM CHOUDHARY) व मेरा नाम संगीता चौधरी (SANGITA CHOUDHARY) कराना चाहती हूँ, अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को भविष्य में ओम चौधरी (OM CHOUDHARY) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदिका

(संगीता चौधरी)

(SANGITA CHOUDHARY)

निवासी– राम नगर के पास, ग्राम लोनी,

तहसील व जिला बुरहानपुर (म.प्र.).

(G-7463)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम सुशील उर्रेती पिता राम सिंह (SUSHEEL URRETI S/o. RAM SINGH), निवासी– ग्राम करनपुरा, तहसील कुण्डम, जिला जबलपुर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश सुभोल पिता राम सिंह (SUBHOL S/o. RAM SINGH) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम मेरी कक्षा 10वीं की अंकसूची एवं जन्म प्रमाण–पत्र में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे सुशील उर्रेती पिता राम सिंह (SUSHEEL URRETI S/o. RAM SINGH) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(सुभोल)

(SUBHOL)

नया नाम

(सुशील उर्रेती)

(SUSHEEL URRETI)

पिता– राम सिंह

(S/o. RAM SINGH).

(G-7464)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम प्रहलाद पिता मदनलाल, निवासी– 365, वार्ड क्र. 13, बस स्टैंड के पास ,बाबई बागरा रोड, ग्राम मानागांव, पोस्ट आफिस इटारसी, तहसील माखन नगर, जिला नर्मदापुरम (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश पहलाद कहार पिता पहलाद कहार (PAHLAD KAHAR C/o. PAHLAD KAHAR) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरे वोटर आई.डी. कार्ड में मेरा सही नाम प्रहलाद पिता मदनलाल (PRAHLAD S/o. MADANLAL) दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे प्रहलाद पिता मदनलाल (PRAHLAD S/o. MADANLAL) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(पहलाद कहार)

(PAHLAD KAHAR)

पिता– पहलाद कहार

(C/o. PAHLAD KAHAR)

नया नाम

(प्रहलाद)

(PRAHLAD)

पिता– मदनलाल

(S/o. MADANLAL).

(G-7465)

नाम परिवर्तन

मैं, आरूष पिता विजय जायसवाल, निवासी– लेहकु, तहसील सेगाव, जिला खरगोन (म.प्र.). मेरे दसवीं कक्षा की अंकसूची में मेरा नाम आरूष जायसवाल (Arush Jaiswal) के नाम की जगह आरूष मालवीया लिखा आया है. मेरे स्कूल के दस्तावेजों त्रुटिवश आरूष मालवीया (Arush Malviya) नाम अंकित है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे आरूष जायसवाल (Arush Jaiswal) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(आरूष)

(G-7466) पिता– विजय जायसवाल.

नाम परिवर्तन

मैं, अमान सिंह पुत्र बुध्दु सिंह यादव, मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम में विक्की (Bikki) अंकित हो गया है, जबकि मेरे पुत्र का नाम अंकसूची, जन्म प्रमाण–पत्र व अन्य दस्तावेजों में सही नाम विकास यादव (VIKAS YADAV) अंकित है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम विकास यादव (VIKAS YADAV) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(अमान सिंह)

पुत्र– बुध्दु सिंह

निवासी–ग्राम नेकान, तहसील सिरोंज,

(G-7467) जिला विदिशा (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, दिनेश कुमार शर्मा आत्मज श्री नंदलाल शर्मा, निवासी–म.नं. 36, वार्ड क्र.–06, हाटपुरा बाजार, बड़ोद कस्बा, शाजापुर (म.प्र.). मेरे पुत्र का सही नाम दिव्यांश शर्मा (DIVYANSH SHARMA) है. आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरे पुत्र का नाम दर्श शर्मा अंकित हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को उसके सही नाम दिव्यांश शर्मा (DIVYANSH SHARMA) के नाम से जाना–पहचाना जावे एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(G-7468) **(दिनेश कुमार शर्मा).**

नाम परिवर्तन

मैं, संजय सिंह आत्मज श्री सत्यदेव सिंह, निवासी– मकान नं.–119, नियर एल.बी.एम. स्कूल, फेस–01, शिव नगर कॉलोनी विदिशा रोड, भोपाल (म.प्र.). मेरे पुत्र का नाम आदित्य सिंह (ADITYA SINGH) है. मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र में नाम रिसित सिंह (RISHIT SINGH) दर्ज हो गया है, जबकि मेरे पुत्र का सही नाम आदित्य सिंह (ADITYA SINGH) है, जो कि मेरे पुत्र के आधार कार्ड, स्कूल रिकार्ड में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को उसके सही नाम आदित्य सिंह (ADITYA SINGH) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(G-7469) **(संजय सिंह).**

नाम परिवर्तन

मैं, धर्मेन्द्र चौरसिया पिता दुर्गा प्रसाद (DHARMENDRA CHOURASIYA S/o. DURGA PRASAD), निवासी– 21–ए, हर्ष किराना स्टोर के पास, पुराना सुभाष नगर, भोपाल (म.प्र.). मेरे सेवा–पुस्तिका में त्रुटिवश नाम धमेन्द्र चौरसिया पिता दुर्गा प्रसाद (DHAMENDRA CHOURASIA S/o. DURGA PRASAD) अंकित हो गया हैं, जो कि गलत है. मेरा सही नाम धर्मेन्द्र चौरसिया पिता दुर्गा प्रसाद (DHARMENDRA CHOURASIYA S/o. DURGA PRASAD) है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड व मेरे अन्य दस्तावेजों में भी धर्मेन्द्र चौरसिया पिता दुर्गा प्रसाद (DHARMENDRA CHOURASIYA S/o. DURGA PRASAD) के नाम से जाना, पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(धमेन्द्र चौरसिया)	**(धर्मेन्द्र चौरसिया)**
(DHAMENDRA CHOURASIA)	(DHARMENDRA CHOURASIYA)
	पिता– दुर्गा प्रसाद
	(S/o. DURGA PRASAD).

(G-7470)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र जिसे अब तक फेजान (FEJAN) के नाम से जाना जाता था. अब मेरे पुत्र का सही नाम फैज़ान खान (FAIZAN KHAN) है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे पुत्र को फैज़ान खान (FAIZAN KHAN) के नाम से जना–पहचाना जावे.

आवेदक

(सईदा खान)

पति– युसुफ खान

पता– पटेल कालोनी, वार्ड क्रमांक 03,

मनावर, तहसील मनावर, जिला धार (म.प्र.).

(G-7471)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का नाम खुशबू तवर पिता जितेन्द्र तवर (KHUSHBOO TAWAR D/o. JITENDRA TAWAR), निवासी– मकान नं.–76, वार्ड नं.–11, तहसील डोलरिया, पोस्ट वाघवाड़ा, सोनखेड़ी, होशंगाबाद (म.प्र.). परन्तु मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम खुशी राजपूत पिता संध्या राजपूत (KHUSHI RAJPUT D/o. SANDHYA RAJPUT) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम उसके शैक्षणिक दस्तावेजों में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को खुशबू तवर पिता जितेन्द्र तवर (KHUSHBOO TAWAR D/o. JITENDRA TAWAR) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(जितेन्द्र राजपूत)

पिता– करन सिंह.

(G-7472)

नाम परिवर्तन

मैं, कल्लोबाई पत्नी श्री गुलाब सिंह (पुत्री श्री जगन्नाथ मीना), पता– म.नं.–64, ग्राम व पोस्ट कुठार, तह. हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरा नाम आधार कार्ड, पैन कार्ड में कला बाई पत्नी श्री गुलाब सिंह लिखा हुआ है, जो कि गलत है. जिसे सुधार कर कल्लोबाई कराना चाहती हूँ. मेरे भू–राजस्व के खसरा–खतौनी भूमि सम्बन्धी अभिलेख में मेरा पूरा नाम कल्लोबाई ही लिखा हुआ है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे इसी नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(कला बाई)	**(कल्लोबाई).**

(G-7473)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री वंशिका राठौर पिता शंकरसिंह राठौर, निवासी– 870, ग्राम कोद, तहसील बदनावर, जिला धार (म.प्र.) मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम वंशीता राठौर लिख गया है, जो कि गलत है, जबकि सही नाम वंशिका राठौर है, जो कि मेट्रीकुलेशन सर्टिफिकेट (हाई स्कुल सर्टिफिकेट) में लिखा गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को वंशिका राठौर के नाम से ही लिखा–पढ़ा एवं मान्य किया जावे.

आवेदक

(G-7474) **(शंकरसिंह राठौर).**

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम मो. आसिफ आत्मज अब्दुल रहमान (MOHD. ASIF S/o. ABDUL REHMAN), निवासी– 124, भीम नगर, मजार के सामने, न्यू विधान सभा, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरे शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में अंकित है. वर्तमान में मैंने अपना नाम परिवर्तन कर लिया है. अब मेरा नाम अब्दुल वहीद आत्मज अब्दुल रहमान (ABDUL WAHEED S/o. ABDUL REHMANA) हो चुका है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे अब्दुल वहीद आत्मज अब्दुल रहमान (ABDUL WAHEED S/o. ABDUL REHMANA) के नाम से ही जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(अब्दुल वहीद)

(G-7475) आत्मज– अब्दुल रहमान.

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री के आधार कार्ड में उसका नाम त्रुटिवश "चेत्या (चेतना) चंदेरिया" "Chetya (Chetna) Chanderia" अंकित हो गया है, जिसे मैं, वर्तमान में मेरी पुत्री का नाम "चेतना चंदेरिया" "Chetna Chanderia" कराना चाहता हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को "चेतना चंदेरिया" "Chetna Chanderia" के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(चेत्या (चेतना) चंदेरिया)	**(चेतना चंदेरिया)**
(Chetya (Chetna) Chanderia)	(Chetna Chanderia).

(G-7476)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र के आधार कार्ड में उसका नाम त्रुटिवश "दिव्यांश चंदेरिया उर्फ ऋषि" "Divyansh Chanderia Urf Rishi" अंकित हो गया है मैं, वर्तमान में मेरे पुत्र का नाम "ऋषि चंदेरिया" "Rishi Chanderia" कराना चाहता हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को "ऋषि चंदेरिया" "Rishi Chanderia" के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(दिव्यांश चंदेरिया उर्फ ऋषि)	**(ऋषि चंदेरिया)**
(Divyansh Chanderia Urf Rishi)	(Rishi Chanderia).

(G-7477)

नाम परिवर्तन

मेरे अधार कार्ड अपडेट कराते समय मेरा नाम बच्ची डुमार लेख हो गया है, जबकि मेरा नाम अनीता डुमार है, जो सही है, मेरे परिचय–पत्र एवं समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम अनीता डुमार लेख है, जो कि सही है. इसलिए मेरा नाम बच्ची डुमार के स्थान पर सही नाम अनीता डुमार लेख किया जाये. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे इसी नाम से जाना–पहचाना जावे.

आवेदिका

(अनीता डुमार)

पति– श्री जितेन्द्र डुमार

पता– ग्राम कुंवरपुर, पोस्ट कुंवरपुर,

तहसील अजयगढ़, जिला पन्ना (म.प्र.).

(G-7478)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम मनोहर कुमार नरवरे स्व. श्री अन्छु नरवरे (Manohar Kumar Narware S/o. Late Shri Anchhu Narware) है, जो कि मेरे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक व शैक्षणिक योग्यताओं में दर्ज है, जबकि मेरे राजस्व अभिलेखों में मनोज वल्द स्व. श्री अन्छु नरवरे (Manoj Narware S/o. Late Shri Anchhu) अंकित है, उक्त दोनों नाम मुझ एक ही व्यक्ति के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे भविष्य में (भू–राजस्व अभिलेखों में) मनोज वल्द स्व. श्री अन्छु के स्थान पर मनोहर कुमार नरवरे वल्द स्व. श्री अन्छु नरवरे (Manohar Kumar Narware S/o. Late Shri Anchhu Narware) के नाम से जाना–पहचाना एवं पढ़ा–लिखा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(मनोज)	**(मनोहर कुमार नरवरे)**
	वल्द स्व. श्री अन्छु नरवरे
	पता– ग्राम बघोली, पटवारी हल्का क्र. धाबला,
	तह. प्रभातपट्टन, जिला बैतूल (म.प्र.).

(G-7479)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का नाम अर्पिता मालवीय, पिता श्री विशाल सिंह मालवीय, निवासी– ग्राम गुजरतोड़ी, पोस्ट नायसमंद, तहसील बैरसिया, गुजरतोड़ी, भोपाल (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में उसका नाम चांदनी पिता श्री विशाल सिंह मालवीय त्रुटिवश अंकित हो गया है तथा मेरी पुत्री के शैक्षणिक/गैर शैक्षिणक दस्तावेजों में उसका नाम अर्पिता मालवीय पिता श्री विशाल सिंह मालवीय अंकित है. अर्पिता मालवीय व चांदनी दोनों नाम मेरी पुत्री के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को अर्पिता मालवीय (ARPITA MALVIYA) पिता श्री विशाल सिंह मालवीय (VISHAL SINGH MALVIYA) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(विशाल सिंह मालवीय).

(G-7480)

नाम परिवर्तन

मैं, सुनिता, मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम सुनिता वर्मा (SUNITA VERMA), निवासी– मकान नंबर 70, वार्ड नंबर 4, रतागढ रैयत, बुरहानपुर (म.प्र.). मेरा नया नाम सुनिता (SUNITA) है. अतः प्रकाशन उपरान्त समस्त शासकीय एवं अर्धशासकीय दस्तावेजों में सुनिता (SUNITA) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(सुनिता वर्मा)	**(सुनिता)**
(SUNITA VERMA)	(SUNITA).

(G-7481)

उपनाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम मिलिन्द सिंह दांगी (Milindra Singh Dangi) पिता योगेन्द्रसिंह दांगी (Yogendra Dangi) और माता बबीता दांगी (Babita Dangi) था तथा मुझे अपने पिताजी एवं माता का उपनाम परिवर्तन मिलिन्द्रसिंह दांगी (Milindra Singh Dangi) पिता योगेन्द्रसिंह ठाकुर (Yogendra Singh Dangi) माता बबीता ठाकुर (Babita Thakur) करना है. मेरी 10वीं की मार्कशीट एवं समस्त अंकसूची व दस्तावेजों में मेरे पिता एवं मेरी माता का उपनाम ठाकुर दर्ज करना है, जो कि सहीं हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे इसी नाम से भविष्य में जाना–पहचाना जावेगा एवं शासकीय/अशासकीय कार्य में अंकित किया जावेगा.

पुराना नाम	नया नाम
(योगेन्द्रसिंह दांगी)	**(योगेन्द्रसिंह ठाकुर)**
(बबीता दांगी)	(बबीता ठाकुर).

(G-7482)

नाम परिवर्तन

मैं प्रियंका वाधवानी पुत्री श्री अमर वाधवानी पत्नी श्री धीरज पंजवानी, निवासी– वार्ड क्र. 07, सिंधी कालोनी, छतरपुर (म.प्र.). मेरा सही नाम प्रियंका वाधवानी (Priyanka Wadhwani) है, आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम प्रिया वाधवानी (Priya Wadhwani) दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त सही नाम 'प्रियंका वाधवानी (Priyanka Wadhwani) से जानी–पहचानी जाऊंगी एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा यही नाम रहेगा.

पुराना नाम	नया नाम
(प्रिया वाधवानी)	**(प्रियंका वाधवानी)**
(Priya Wadhwani)	(Priyanka Wadhwani).

(G-7483)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती किरण बरकरे पत्नी श्री रामपाल, निवासी–ग्राम ककरूआ, पोस्ट मुआर, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन (म.प्र.). मेरा विवाह श्री रामपाल आत्मज श्री सत्यनारायण के संग हिन्दु रीति से सम्पन्न हुआ है. विवाह पूर्व में किरण बरकरे पुत्री मुन्नालाल (KIRAN BARKARE D/o. MUNNALAL) नाम से जानी–पहचानी जाती थी. आधार कार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश किरण दर्ज हो गया है. विवाह उपरांत अब में किरण बरकरे पति रामपाल (KIRAN BARKARE W/o. RAMPAL) नाम से जानी व पहचानी जाती हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे समस्त शैक्षणिक, शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मुझे किरण बरकरे पति रामपाल नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(किरण बरकरे)	**(किरण बरकरे)**
(KIRAN BARKARE)	(KIRAN BARKARE)
पुत्री– मुन्नालाल	पति– रामपाल
(D/o. MUNNALAL)	(W/o. RAMPAL).

(G-7484)

उपनाम परिवर्तन

मैं, नरेंद्र विश्वकर्मा (NARENDRA VISHWAKARMA) पुत्र श्री रमेश चंद्र विश्वकर्मा, निवासी– महिदपुर, झुटावद, उज्जैन (म.प्र.). मैंने स्वेच्छा से मेरा नाम नरेंद्र मिस्त्री (NARENDRA MISTRY) रख लिया गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में मेरा सही नाम नरेंद्र मिस्त्री (NARENDRA MISTRY) के नाम से ही जाना–पहचाना एवं पढ़ा–लिखा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(नरेंद्र विश्वकर्मा)	**(नरेंद्र मिस्त्री)**
(NARENDRA VISHWAKARMA)	(NARENDRA MISTRY).

(G-7485)

नाम परिवर्तन

मैं, गुड्डी, पत्नी कन्हैया लाल धाकड़, निवासी– ग्राम डाकघर खरई, तहसील कोलारस, जिला शिवपुरी (म.प्र.). मैंने स्वेच्छा से अपना नाम "रामसखी" धारण कर लिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में सभी प्रकार के सरकारी/गैर–सरकारी अभिलेखों, पहचान पत्रों, में मेरा नाम राम सखी ही माना जावे. मेरे पुराने नाम गुड्डी से सम्बंधित कोई भी प्रमाण–पत्र या दस्तावेज भविष्य में अमान्य समझे जाएँगे और मेरे नए नाम रामसखी के रूप में ही अद्यतन किया जावे.

प्रार्थिनी

(G-7486) **(गुड्डी उर्फ रामसखी).**

CHANGE OF NAME

It is informed to the general public that my minor daughter's name, at present, is Ms. BANHI KASLIWAL D/o. ANGAD KASLIWAL Her name has been changed to DHRUVII KASLIWAL. Hence-forth, she would be known and identified by the name DHRUVII KASLIWAL D/o. ANGAD KASLIWAL.

Old Name	New Name
(BANHI KASLIWAL)	**(DHRUVII KASLIWAL)**
	D/o. ANGAD KASLIWAL
	Add.- 05, Leelam Vatika, Vidhya Sagar
	School Road, Bicholi Mardana, Indore (M.P.).

(G-7487)

नाम परिवर्तन

मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम चंद कुंवर पत्नी श्री चन्द्रिका प्रसाद त्रुटिवश दर्ज हो गया है, जो कि गलत है एवं मेरे अन्य दस्तावेजों जैसे मतदाता परिचय–पत्र में मेरा नाम चंदन देवी पत्नी श्री चन्द्रिका प्रसाद दर्ज है, जो कि सही है. अत : प्रकाशन उपरान्त मुझे चंदन देवी पत्नी श्री चन्द्रिका प्रसाद के नाम से जाना–पहचाना एवं मेरे समस्त दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(चंद कुंवर)	**(चंदन देवी)**
	पत्नी– श्री चन्द्रिका प्रसाद.

(G-7488)

नाम परिवर्तन

मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम मुनिया देवी पत्नी श्री प्रसुराम साहू त्रुटिवश दर्ज हो गया है, जो कि गलत है एवं मेरे अन्य दस्तावेजों जैसे मतदाता परिचय–पत्र में मेरा नाम मुन्नी पत्नी श्री प्रसुराम दर्ज है जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मुन्नी पत्नी श्री प्रसुराम के नाम से जाना–पहचाना एवं मेरे समस्त दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(मुनिया देवी)	**(मुन्नी)**
पत्नी– श्री प्रसुराम साहू	पत्नी– प्रसुराम.

(G-7489)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम हरीश बाथम आत्मज श्री बाबूलाल बाथम, निवासी– आई 26/21, माता मंदिर, साउथ टीटी नगर, भोपाल (म.प्र.), हरीश बाथम नाम मेरे आधार कार्ड, पैन, ड्राईविंग लायसेंस, समग्र आई.डी. व शासकीय रिकार्ड में भी दर्ज हैं साथ ही मेरी शैक्षणिक अंकसूची, जाति, मूलनिवासी प्रमाण–पत्र, में मेरा नाम हरेश कुमार बाथम दर्ज हैं. मेरे शासकीय सेवा पुस्तिका में भी हरेश कुमार बाथम नाम दर्ज हुआ है. दोनों नाम मेरे स्वंय के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे हरीश बाथम आत्मज श्री बाबूलाल बाथम के नाम से जाना–पहचाना व समस्त शासकीय/अर्धशासकीय दस्तावेज में भी दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(हरेश कुमार बाथम)	**(हरीश बाथम)**
आत्मज– बाबूलाल	आत्मज– श्री बाबूलाल बाथम.

(G-7490)

नाम परिवर्तन

मैं, गेंदा बाई दहायत पति पूरन दहायत, निवासी– म.नं. 342, पत्रकार भवन के पास, मालवीय नगर, भोपाल उत्तर, टी.टी. नगर, भोपाल (म.प्र.). मेरा नाम आधार कार्ड में त्रुटिवश कल्पना दहायत दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों एवं जन्म प्रमाण–पत्र में मेरा सही नाम गेंदा बाई दहायत (GENDA BAI DAHAYAT) दर्ज है. में अपने शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज कराना चाहती हूँ. यह कि गेंदा बाई दहायत (GENDA BAI DAHAYAT) व कल्पना दहायत दोनों नाम एक ही महिला के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे गेंदा बाई दहायत (GENDA BAI DAHAYAT) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(कल्पना दहायत)

नया नाम

(गेंदा बाई दहायत)
(GENDA BAI DAHAYAT).

(G-7491)

नाम परिवर्तन

मैं, जसरत सिंह आत्मज श्री प्रहलाद सिंह, निवासी– पटाडा चौहान, पटरिया चौहान, पोस्ट सिद्धीगंज, तहसील आष्टा, जिला सीहोर (म.प्र.). मेरी पुत्री का सही नाम नंदनी ठाकुर (NANDANI THAKUR) है. आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरी पुत्री का नाम पूजा (PUJA) अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री का सही नाम नंदनी ठाकुर (NANDANI THAKUR) के नाम से जाना–पहचाना एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरी पुत्री का यही नाम दर्ज किया जावे.

आवेदक

(G-7492) **(जसरत सिंह).**

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का सही नाम शिवा नापित पुत्री श्री भगवानदास नापित, निवासी– ग्राम समर्रा, तहसील बडागांव, धसान, जिला टीकमगढ (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश नैना नापित (Naina Napit) अंकित दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण–पत्र एवं अंकसूची में सही नाम शिवा नापित (Shiva Napit) दर्ज है. शिवा नापित (Shiva Napit) एवं नैना नापित (Naina Napit) दोनों मेरी पुत्री के नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को शिवा नापित (Shiva Napit) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(G-7493) **(भगवानदास नापित).**

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र के आधार कार्ड में नाम कृष्णा वर्मा अंकित है, जो कि गलत है. जबकि मेरे पुत्र का सही नाम राज वर्मा (RAJ VERMA) है. जो कि मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र एवं अंकसूची व अन्य शासकीय दस्तावेजों में भी अंकित है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को राज वर्मा (RAJ VERMA) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(अशोक वर्मा)
निवासी– ग्राम मुस्करा, जिला सीहोर (म.प्र.).

(G-7494)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का नाम रागनी मीणा पुत्री दशरथ सिंह (RAGNI MEENA D/o. DASHRATH SINGH), निवासी– 03, विदिशा रोड, बालमपुर, भोपाल (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम सुप्रिया पुत्री सुनीता (SUPRIYA D/o. SUNITA) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम उसके शैक्षणिक दस्तावेजों, जन्म प्रमाण–पत्र में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री का नाम रागनी मीणा पुत्री दशरथ सिंह (RAGNI MEENA D/o. DASHRATH SINGH) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(सुप्रिया)	**(रागनी मीणा)**
(SUPRIYA)	(RAGNI MEENA)
पुत्री– सुनीता	पुत्री– दशरथ सिंह
(D/o. SUNITA)	(D/o. DASHRATH SINGH).

(G-7495)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम भीम सिंह परमार पुत्र प्रह्लाद मालवीय (BHEEM SINGH PARMAR S/o. PRAHLAD MALVIYA), निवासी– मकान नं. 128, खोनपीर पीपल्या, जिला देवास (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम भीम सिंह मालवीय पुत्र प्रह्लाद मालवीय (BHEEM SINGH MALVIYA S/o. PRAHLAD MALVIYA) अंकित हो गया है, जो कि गलत है मेरा सही नाम पैन कार्ड, अंकसूची में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम भीम सिंह परमार पुत्र प्रहलाद मालवीय (BHEEM SINGH PARMAR S/o. PRAHLAD MALVIYA) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(भीम सिंह मालवीय)	**(भीम सिंह परमार)**
(BHEEM SINGH MALVIYA)	(BHEEM SINGH PARMAR)
	पुत्र–प्रह्लाद मालवीय
	(S/o. PRAHLAD MALVIYA).

(G-7496)

नाम परिवर्तन

मैं, नन्नूलाल कुशवाह पिता घाशीराम, निवासी– 129/1, होशंगाबाद रोड, बावड़ीया कला, हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरा सही नाम नन्नूलाल कुशवाह (NANNOOLAL KUSHWAHA) पिता घाशीराम (GHASIRAM) है. मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जाता है. मैं, अपना सही नाम अपने शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज कराना चाहता हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे नन्नूलाल कुशवाह (NANNOOLAL KUSHWAHA) पिता घाशीराम (GHASIRAM) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(नन्नूलाल कुशवाह)
(NANNOOLAL KUSHWAHA)
पिता– घाशीराम
(GHASIRAM).

(G-7497)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम उसके आधार कार्ड में त्रुटिवश "Pera" अंकित हो गया है. मैं, वर्तमान में अपने पुत्र का नाम "पर्व कुमरावत" कराना चाहता हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा पुत्र "पर्व कुमरावत" के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(पवन कुमरावत)

पिता– कैलाश कुमरावत

पता– दर्जी मोहल्ला, रणजीत चौक, बड़वानी,

(G-7498) जिला बड़वानी (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम उसके आधार कार्ड में त्रुटिवश " प्रिन्स सवनेर" अंकित हो गया है. मैं, वर्तमान में अपने पुत्र का नाम "वंश सवनेर" कराना चाहता हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा पुत्र "वंश सवनेर" के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(सचिन सावनेर)

पिता– सीताराम सावनेर

पता– गायत्री कॉलोनी, जुलवानिया,

(G-7499) तह. राजपुर, जिला बड़वानी (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम आशा राज पत्नी श्री तीरथ राम राज, निवासी–37 डी, नरेला संकरी, भवनी धाम, अयोध्या बायपास रोड, भोपाल (म.प्र.). मेरा नाम राजस्व अभिलेख में दशोदाबाई पिता सवलसिंह दर्ज है, जो कि मेरे विवाह से पूर्व का नाम था परन्तु विवाह उपरांत मेरा सही नाम आशा राज पत्नी श्री तीरथ राम राज है समस्त दस्तावेजों जैसे वोटर आई.डी. कार्ड और राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड में मेरा यहीं नाम दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मैं, इसी नाम से ही जानी एवं पहचानी जाऊंगी.

पुराना नाम	नया नाम
(दशोदाबाई)	**(आशा राज)**
(Dashodabai)	(Asha Raj)
पुत्री– सबल सिंह	पत्नी– श्री तीरथ राम राज
(D/o. Sabal Singh).	(W/o. Tirath Ram Raj).

(G-7500)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती कंचन नागर पत्नी श्री अजय नागर पुत्री श्री निर्भय सिंह नागर, निवासी– ए–4, यशोदा गार्डन, बागमुगालिया, तहसील कोलार, जिला भोपाल (म.प्र.) का नाम आधार कार्ड एवं निर्वाचन कार्ड एवं पैन कार्ड में मेरा नाम कंचन नागर (Kanchan Nagar) अंकित है. विवाह के पूर्व मेरे शैक्षणिक हाई स्कूल अंकसूची में मेरे नाम कंचना कुमारी नागर (Kanchana Kumari Nagar) है. लेकिन विवाह उपरांत मुझे कंचन नागर (Kanchan Nagar) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

प्रार्थिनी

(कंचन नागर)

पत्नी– श्री अजय नागर.

(G-7501)

नाम परिवर्तन

मैं, राजेंद्र कुमार पंचोली आत्मज श्री सत्य नारायण पंचोली, निवासी–38, डॉ. काटजु मार्ग, जावरा, तहसील जावरा, जिला रतलाम (म.प्र.). मेरा सही नाम राजेंद्र कुमार पंचोली (Rajendra Kumar Pancholi) है. मेरे राजस्व अभिलेखों के दस्तावेजों में त्रुटिवश मेरा नाम हरनारायण (Harnarayan) अंकित हो गया है. मैं ,अपने सही नाम राजेंद्र कुमार पंचोली (Rajendra Kumar Pancholi) के नाम से जाना–पहचाना जाता हूँ एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा यही नाम रहेगा.

पुराना नाम	नया नाम
(हरनारायण)	**(राजेंद्र कुमार पंचोली)**
(Harnarayan)	(Rajendra Kumar Pancholi).

(G-7502)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम कमलेश्वर सिंह मार्के पिता विश्वनाथ सिंह मार्के (KAMLESHWAR SINGH MARKE S/o. VISHVA NATH SINGH MARKE), निवासी– ग्राम पोस्ट कोचिला, थाना मडवास, (पूर्व थाना मझौली), तहसील–गोपद बनास, जिला सीधी (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड एवं सेवा पुस्तिका (सर्विस बुक) में त्रुटिवश मेरा नाम कमलेश्वर सिंह पिता विश्वनाथ सिंह (KAMLESHWAR SINGH S/o. VISHWANATH SINGH) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम कमलेश्वर सिंह मार्के पिता विश्वनाथ सिंह मार्के (KAMLESHWAR SINGH MARKE S/o. VISHVA NATH SINGH MARKE) है, जो कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों व पैन कार्ड में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम कमलेश्वर सिंह मार्के पिता विश्वनाथ सिंह मार्के (KAMLESHWAR SINGH MARKE S/o. VISHVANATH SINGH MARKE) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(कमलेश्वर सिंह)	**(कमलेश्वर सिंह मार्के)**
(KAMLESHWAR SINGH)	(KAMLESHWAR SINGH MARKE)
पिता– विश्वनाथ सिंह	पिता– विश्वनाथ सिंह मार्के
(S/o. VISHWANATH SINGH)	(S/o. VISHVANATH SINGH MARKE).

(G-7503)

नाम परिवर्तन

मैं, प्रेम सिंह यादव पिता राजाराम यादव, निवासी– ग्राम भिलारी, पोस्ट अकाझिरी, तहसील बदरवास, जिला शिवपुरी (म.प्र.). मेरी पुत्री का नाम आधार कार्ड में त्रुटिवश रेवती यादव पिता प्रेम सिंह यादव दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम अनुराधा यादव (ANURADHA YADAV) पिता प्रेम सिंह यादव (PREM SINGH YADAV) हैं, जो उसके जन्म प्रमाण–पत्र में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को अनुराधा यादव (ANURADHA YADAV) पिता प्रेम सिंह यादव (PREM SINGH YADAV) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(G-7504) **(प्रेम सिंह यादव).**

नाम परिवर्तन

मेरा नाम दुला मुझालदा पिता कालिया मुझालदा (DULA MUJHALDA S/o. KALIYA MUJHALDA), निवासी– ग्राम सील खोदरी, तहसील रामा, जिला झाबुआ (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम दुलेसिंह मुझाल्दा पिता कालू मुझाल्दा (DULESINGH MUJHALDA S/o. KALU MUJHALDA) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम मेरे जाति प्रमाण–पत्र में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम दुला मुझालदा पिता कालिया मुझालदा (DULA MUJHALDA S/o. KALIYA MUJHALDA) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(दुलेसिंह मुझाल्दा)	**(दुला मुझालदा)**
(DULESINGH MUJHALDA)	(DULA MUJHALDA)
पिता– कालू मुझाल्दा	पिता– कालिया मुझालदा
(S/o. KALU MUJHALDA)	(S/o. KALIYA MUJHALDA).

(G-7505)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम रंजिना सिंगार पुत्री खेलु सिंगार (RANJINA SINGAR D/o. KHELU SINGAR), निवासी– सिंगार फलिया माछलिया, ग्राम माछलिया, माछलिया, झाबुआ (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम रजनी सिंगार पुत्री खेलु सिंगार (RAJANI SINGAR D/o. KHELU SINGAR) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम मेरे शैक्षाणिक दस्तावेजों में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम रंजिना सिंगार पुत्री खेलु सिंगार (RANJINA SINGAR D/o. KHELU SINGAR) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(रजनी सिंगार)	**(रंजिना सिंगार)**
(RAJANI SINGAR)	(RANJINA SINGAR)
	पुत्री– खेलु सिंगार
	(S/o. KHELU SINGAR).

(G-7506)

नाम परिवर्तन

मैं, रामदास पुत्र श्री माधौ सिंह (नया नाम) मेरा पुराना नाम संजय कुमार पुत्र श्री माधौ सिंह था, अब मैं, अपना पूर्व कुल नाम संजय कुमार को छोड़कर नया कुल नाम रामदास रख रहा हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे सभी लोग रामदास के नाम से जाना–पहचाना जावे. मेरे सभी शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(रामदास)

पुत्र– श्री माधौ सिंह

निवासी– मोहल्ला गढ़ी, गहन, गौसपुर,

जिला मुरैना (म.प्र.).

(G-7507)

नाम परिवर्तन

मैं, रामदास अहिरवार पिता श्री गंगाराम अहिरवार, निवासी– ग्राम भिडारी, तहसील हटा, जिला दमोह (म.प्र.). मेरा नाम जन्म प्रमाण–पत्र में रामदास अहिरवार नाम दर्ज है, जो कि सही है, जबकि भूलवश अन्य शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम अशोक दर्ज हो गया है. जिसे में परिवर्तित कर रामदास अहिरवार पिता श्री गंगाराम अहिरवार दर्ज कराना चाहता हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे रामदास अहिरवार पिता श्री गंगाराम अहिरवार के नाम से जाना–पहचाना जावे तथा समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में रामदास अहिरवार पिता श्री गंगाराम दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(अशोक)

नया नाम

(रामदास अहिरवार)

पिता– श्री गंगाराम अहिरवार.

(G-7508)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का सही नाम अनिरूद्र प्रताप सिंह बैस पिता अनिल प्रताप सिंह बैस (ANIRUDRA PRATAP SINGH BAIS S/o. ANIL PRATAP SINGH BAIS), निवासी– ग्राम पोस्ट मझटोलवा, ब्लॉक रामनगर, तहसील रामनगर, जिला सतना (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम अनुरूद्र प्रताप सिंह बैस पिता अनिल प्रताप सिंह बैस (ANURUDRA PRATAP SINGH BAIS S/o. ANIL PRATAP SINGH BAIS) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम अनिरूद्र प्रताप सिंह बैस पिता अनिल प्रताप सिंह बैस (ANIRUDRA PRATAP SINGH BAIS S/o. ANIL PRATAP SINGH BAIS) है, जो कि मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का नाम अनिरूद्र प्रताप सिंह बैस पिता अनिल प्रताप सिंह बैस (ANIRUDRA PRATAP SINGH BAIS S/o. ANIL PRATAP SINGH BAIS) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(अनिल प्रताप सिंह बैस)

पिता– भैयालाल सिंह.

(G-7509)

नाम परिवर्तन

मैं, सपना मेहरा पुत्री पूरन सिंह (SAPNA MEHRA D/o. PURAN SINGH), निवासी– ग्राम चैनपुर, पोस्ट प्रतापगढ़, सिलवानी, रायसेन (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम हलकी बाई पत्नी पूरन सिंह (HALKEE BAI W/o. PURAN SINGH) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम मतदाता पहचान–पत्र में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम सपना मेहरा पुत्री पूरन सिंह (SAPNA MEHRA D/o. PURAN SINGH) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(हलकी बाई)	**(सपना मेहरा)**
(HALKEE BAI)	(SAPNA MEHRA)
पत्नी– पूरन सिंह	पुत्री– पूरन सिंह
(W/o. PURAN SINGH)	(D/o. PURAN SINGH).

(G-7510)

नाम परिवर्तन

मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, हाई स्कूल अंकसूची एवं अन्य दस्तावेजों में नाम RAMESH CHAND अंकित है, जबकि मेरे सर्विस रिकॉर्ड, नियुक्ति आदेश, मूलनिवासी आदि में मेरा पूरा नाम RAMESH CHANDRA GOND है. मेरा सही नाम RAMESH CHANDRA GOND है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे RAMESH CHANDRA GOND S/o. BHAGWAN DAS के नाम से ही जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(RAMESH CHAND)	**(RAMESH CHANDRA GOND)**
	S/o. BHAGWAN DAS
	निवासी– पुराने पावर हाउस के पीछे, वार्ड 09,
(G-7511)	राजामण्डी गिर्द, जिला ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, गिन्दा पिता लटोरा, निवासी– भीकमपुर, चरगवां, तहसील शहपुरा, जिला जबलपुर (म.प्र.). जो कि मेरे मतदाता परिचय–पत्र में दर्ज है, जो कि सही है. मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम विजय दर्ज है, जो कि त्रुटिपूर्ण है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे गिन्दा पिता लटोरा के नाम से जाना–पहचाना जावेगा.

पुराना नाम	नया नाम
(विजय)	**(गिन्दा)**
	(GINDA)
(G-7512)	पिता– लटोरा.

उपनाम परिवर्तन

मैं, अंगूरी बाई पत्नी फूलचंद चौहान, निवासी–ग्राम बकतरा, तहसील बुदनी, जिला सीहोर (म.प्र.). मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम त्रुटिवश अंगूरी (ANGURI) पत्नी फूलचंद चौहान दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. जबकि मेरे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, एवं अन्य दस्तावेजों पर अंगूरी बाई (ANGOORI BAI) पत्नी फूलचंद चौहान नाम दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही नाम अंगूरी बाई (ANGOORI BAI) पत्नी फूलचंद चौहान के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(अंगूरी)	**(अंगूरी बाई)**
(ANGURI)	(ANGOORI BAI).

(G-7513)

नाम परिवर्तन

मैं, सुधांशु सिंह पुत्र श्री कृष्ण प्रताप सिंह, निवासी–म.नं. 284/3, सीता रघुपति निवास, श्याम नगर, बरखेड़ा पठानी, भोपाल (म.प्र.). मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण–पत्र में त्रुटिवश उसका नाम स्मृति सिंह चौहान अस्मिका (Smriti Singh Chauhan Asmika) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि उसका सही नाम अश्मिका सिंह चौहान (Ashmika Singh Chauhan) पुत्री सुधांशु सिंह (Sudhanshu Singh) जो कि उसके आधार कार्ड में भी दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को उसके सही नाम अश्मिका सिंह चौहान (Ashmika Singh Chauhan) पुत्री सुधांशु सिंह (Sudhanshu Singh) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(G-7514) **(सुधांशु सिंह).**

नाम परिवर्तन

मैं, सुधांशु सिंह पुत्र श्री कृष्ण प्रताप सिंह, निवासी–म.नं. 284/3, सीता रघुपति निवास, श्याम नगर, बरखेड़ा पठानी, भोपाल (म.प्र.). मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण–पत्र में त्रुटिवश उसका नाम अदिति सिंह चौहान उर्फ अश्विका (Aditi Singh Chauhan Ashvika) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि उसका सही नाम अश्विका सिंह चौहान (Ashvika Singh Chauhan) पुत्री सुधांशु सिंह (Sudhanshu Singh) जो कि उसके आधार कार्ड में भी दर्ज है, जो कि सही हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को उसके सही नाम अश्विका सिंह चौहान (Ashvika Singh Chauhan) पुत्री सुधांशु सिंह (Sudhanshu Singh) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(G-7515) **(सुधांशु सिंह).**

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम लक्ष्य राज सिंह सोलंकी पिता जुगल सिंह सोलंकी (LAKSH RAJ SINGH SOLANKI S/o. JUGAL SINGH SOLANKI), निवासी– ग्राम बोरदिया, बोरदिया, रून खेड़ा, उज्जैन (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम उदय राज सिंह सोलंकी पिता जुगल सिंह सोलंकी (UDAY RAJ SINGH SOLANKI S/o. JUGAL SINGH SOLANKI) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र व शैक्षणिक दस्तावेजों में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का नाम लक्ष्य राज सिंह सोलंकी पिता जुगल सिंह सोलंकी (LAKSH RAJ SINGH SOLANKI S/o. JUGAL SINGH SOLANKI) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(जुगल सिंह सोलंकी)

(G-7516) पिता– मोती सिंह सोलंकी.

नाम परिवर्तन

मैं, ज्ञानसिंह भिण्डे पुत्र श्री सवलसिंह, निवासी– पटेल फलिया, दुदल्वत, खंडाला, अलीराजपुर (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार में त्रुटिवश (PRAIP) नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि उसके जन्म प्रमाण–पत्र एवं शैक्षिणक दस्तावेजों पर बबलू भिण्डे (BABLU BHINDE) नाम दर्ज है, जो कि सही हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे पुत्र के सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में बबलू भिण्डे (BABLU BHINDE) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(ज्ञानसिंह भिण्डे)

(G-7517) पुत्र– श्री सवलसिंह.

नाम परिवर्तन

मैं, दिपीका झाला पति देवराज सिंह जादोन (DEEPIKA JHALA W/o. DEV RAJ SINGH JODON), निवासी–52, सुभाष नगर, सेकण्ड बैंक, उज्जैन (म.प्र.). मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण–पत्र में त्रुटिवश घरेलू नाम क्रिशा जादोन पिता देवराज सिंह जादोन (KRISHA JADON D/o. DEVRAJ SINGH JADON) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरी पुत्री का सही नाम जयक्रीर्ति जादोन पिता देवराज सिंह जादोन (JAIKIRTI JADON D/o. DEVRAJ SINGH JADON) है, जो कि सही हैं. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरी पुत्री का नाम सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों एवं समस्त दस्तावेजों में जयक्रीर्ति जादोन पिता देवराज सिंह जादोन (JAIKIRTI JADON D/o. DEVRAJ SINGH JADON) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(G-7518) **(देवराज सिंह जादोन).**

नाम परिवर्तन

मेरा नाम मो. अब्दुल पिता श्री मों. अमीन (MOHD ABDUL S/o. MOHD AMEEN), निवासी– चंदननगर, भानपुर, हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम मों. अमीन पिता श्री अमीन (MOHD AMEENO S/o. AMEEN) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम पैन कार्ड, एवं ड्राइविंग लायसेंस में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम मो अब्दुल पिता श्री मों. अमीन (MOHD ABDUL S/o. MOHD AMEEN) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(मों. अमीन)	**(मो अब्दुल)**
(MOHD AMEENO)	(MOHD ABDUL)
पिता– श्री अमीन	पिता– श्री मों. अमीन
(S/o. AMEEN)	(S/o. MOHD AMEEN).

(G-7519)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम किरण विस्पुते (Kiran Vispute) था, जिसे परिवर्तित कर रितिका ओतुरकर (Rithika Oturkar) कर लिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे आधार कार्ड सहित समस्त शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नया नाम रितिका ओतुरकर (Rithika Oturkar) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(किरण विस्पुते)	**(रितिका ओतुरकर)**
(Kiran Vispute)	(Rithika Oturkar)
	पता– 201, मनीष अपार्टमेंट, 55, शक्ति नगर,
(G-7520)	जिला इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम अपर्णा निघोजकर था, जिसे परिवर्तित कर श्राव्या पदमा पुत्री पदमा जोशी (Shravya Padma C/o. Padma Joshi) कर लिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे आधार कार्ड सहित समस्त शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नया नाम श्राव्या पदमा पुत्री पदमा जोशी (Shravya Padma C/o. Padma Joshi) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(अपर्णा निघोजकर)	**(श्राव्या पदमा)**
	(SHRAVYA PADMA)
	पुत्री– पदमा जोशी
(G-7521)	(D/o. PADMA JOSHI).

आम सूचना

फर्म M/S. OMKAR ASSOCIATES, पंजीयन क्रमांक 06–09–01–0090–25, दिनांक 26 अक्टूबर 2025 तथा पता 05, C/o. & Eng. Abhay Chourasia, 05 First Floor MADHAV BHAWAN GEDAJI COMPLEX GUJARATI BAZAR सागर, 470002 है. जिसमे प्रथम विलेख दिनांक 26–07–2017 के अनुसार फर्म में 6 भागीदार 1. श्रीमती रश्मि तिवारी 2. श्री प्रमेन्द्र रिछारिया 3. श्रीमति सुष्मिता रिछारिया 4. श्रीमति जया चौरसिया 5. श्रीमती मनीषा चौरसिया 6. श्री मृत्युंजय तिवारी थे तत्पश्चात् दिनांक 23–10–2019 को फर्म से 5 भागीदार 1. श्रीमति रश्मि तिवारी 2. श्री प्रमेन्द्र रिछारिया 3. श्रीमती सुष्मिता रिछारिया 4. श्रीमती जया चौरसिया 5. श्रीमति मनीषा चौरसिया पृथक् हो गए एवं 1. नवीन भागीदार श्री अभय चौरसिया फर्म में सम्मिलित हो गए अतः वर्तमान में फर्म में कुल दो भागीदार शेष हैं 1. श्री मृत्युंजय तिवारी 2. श्री अभय चौरसिया व फर्म का पता 05, C/o. Eng. Abhay Chourasia, 05 First Floor, MADHAV BHAWAN, GEDAJI COMPLEX, GUJARATI BAZAR, सागर 470002 से नवीन पता– कदम वाटिका लाइन, शिवाजी नगर वार्ड, वैशाली नगर, सागर (म.प्र.)–पिन 470002 दिनांक 23–10–2019 से परिवर्तित हो गया है.

M/S. OMKAR ASSOCIATES

मृत्युंजय तिवारी
(भागीदार).

(G-7522)

आम सूचना

फर्म मेसर्स अजीत कुमार मुकेश कुमार जैन सागर, 315 ए, तिलकगंज, सागर (म.प्र.) पंजीयत फर्म जिसका पंजीयन असिस्टेंट रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं, सागर द्वारा पंजीयन क्रमांक 2147, दिनांक 22/01/1982 को किया गया था. प्रथम अप्रैल सन् 1996 भागीदारीनामा अनुसार फर्म में (1) श्रीमति अंगूरीबाई जैन (2) श्री मुकेश कुमार जैन (3) श्री सतीष कुमार जैन के साथ (4) श्रीमती गुणवंती बाई जैन भी भागीदार थी. दिनांक 1 सितम्बर सन् 2018 को फर्म की भागीदार श्रीमती गुणवंतीबाई जैन का देहान्त हो गया जिससे वह स्वतः ही फर्म से पृथक् हो गईं तत्पश्चात् दिनांक चार सितम्बर सन् 2018 को नई भागीदार के रूप में श्रीमति मनीषा जैन सम्मिलित हुईं जिसके अनुसार दिनांक 04–09–2018 को फर्म में चार भागीदार थे (1) श्रीमती अंगूरीबाई जैन (2) श्री मुकेश कुमार जैन (3) श्री सतीष कुमार जैन (4) श्रीमती मनीषा जैन एवं दिनांक 01–04–2024 को (1) श्रीमती अंगूरीबाई जैन (2) श्री सतीष कुमार जैन स्वेच्छा से फर्म से रिटायर हो गए हैं अतः वर्तमान में दिनांक 01–04–2024 से फर्म में कुल दो भागीदार शेष हैं.

मेसर्स अजीत कुमार मुकेश कुमार जैन सागर

1. **मुकेश कुमार जैन**
2. **मनीषा जैन**

(भागीदार).

(G-7523)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम मंजु (MANJU) पति तुलसीराम है, जो की मेरे वोटर कार्ड में दर्ज है, किन्तु मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम मंगु बाई (MANGU BAI) दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा सही नाम मंजु (MANJU) पति तुलसीराम के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(मंगु बाई)
(MANGU BAI)

नया नाम

(मंजू)
(MANJU)
पति– तुलसीराम
पता– ग्राम बिलाया, तहसील पुनासा,
जिला खण्डवा (म.प्र.).

(G-7524)

उपनाम परिवर्तन

विवाह पूर्व मेरा नाम माधवी शाह (MADHAVI SHAH) पिता श्री अशोक शाह था. मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों एवं कुछ शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में अंकित है, श्री शिल्पेश दलाल से विवाह के उपरान्त मेरा नाम माधवी दलाल (MADHAVI DALAL) पति श्री शिल्पेश दलाल हो गया है, जो मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं वोटर कार्ड में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा परिवर्तित नाम माधवी दलाल (MADHAVI DALAL) पति श्री शिल्पेश दलाल के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(माधवी शाह)	**(माधवी दलाल)**
(MADHAVI SHAH)	(MADHAVI DALAL)
	पति– श्री शिल्पेश दलाल
	पता– 35, साई गंगोत्री विहार,
(G-7525)	बिजासन रोड, इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

विवाह पूर्व मेरा नाम अंशुल राठौर (ANSHUL RATHORE) पिता श्री राकेश राठौर था. मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों एवं कुछ शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में अंकित है. श्री आकाश राठौर से विवाह के उपरान्त मेरा नाम अंशिका राठौर (ANSHIKA RATHORE) पति श्री आकाश राठौर हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा परिवर्तित नाम अंशिका राठौर (ANSHIKA RATHORE) पति श्री आकाश राठौर के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(अंशुल राठौर)	**(अंशिका राठौर)**
(ANSHUL RATHORE)	(ANSHIKA RATHORE)
	पति– श्री आकाश राठौर
	पता– बी.डी. 14, ट्रेजर बिहार,
(G-7526)	बिजलपुर, इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम रामकला (RAMKALA) पति रमेश है. मेरे कुछ शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज है, किन्तु मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम रामकन्या (RAMKANYA) पति रमेशचन्द्र दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा सही नाम रामकला (RAMKALA) पति रमेश लिखा–पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना–पहचाना व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(रामकन्या)	**(रामकला)**
(RAMKANYA)	(RAMKALA)
पति– रमेशचन्द्र	पति– रमेश
	पता– 663, ग्राम पिवडाय,
(G-7527)	जिला इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का सही नाम अमायरा सोनी (AMAYRA SONI) पिता अमित सोनी है, जो कि उसके जन्म प्रमाण–पत्र एवं उसके शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित है, किन्तु मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम उरवी सोनी (URVI SONI) पिता अमित सोनी दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरी पुत्री के सभी दस्तावेजों में उरवी सोनी के स्थान पर उसका सही नाम अमायरा सोनी (AMAYRA SONI) पिता अमित सोनी लिखा–पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना–पहचाना व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(उरवी सोनी)
(URVI SONI)

नया नाम

(अमायरा सोनी)
(AMAYRA SONI)
पिता– अमित सोनी
पता– 48/2, बनारसी दास भनोत,
वार्ड गोरखपुर, जबलपुर (म.प्र.).

(G-7528)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम चिन्तामण सोलंकी (CHINTAMAN SOLANKI) पिता नानूराम सोलंकी था, जो मेरे कुछ शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में अंकित है, किन्तु मैंने अपना नाम परिवर्तित कर चेतन सोलंकी (CHETAN SOLANKI) पिता नानूराम सोलंकी कर लिया है, जो मेरे आधार कार्ड एवं पैन कार्ड में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे सभी दस्तावेजों में चिन्तामण सोलंकी के स्थान में मेरा नाम चेतन सोलंकी (CHETAN SOLANKI) पिता नानूराम सोलंकी लिखा–पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना–पहचाना व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(चिन्तामण सोलंकी)
(CHINTAMAN SOLANKI)

नया नाम

(चेतन सोलंकी)
(CHETAN SOLANKI)
पिता– नानूराम सोलंकी
पता– 123, जवाहर मार्ग,
जिला इन्दौर (म.प्र.).

(G-7529)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम रमेश कुमावत (RAMESH KUMAWAT) पिता लुदा नरगावे था, जो मेरे आधार कार्ड में अंकित है, किन्तु मैंने अपना नाम परिवर्तित कर शांतिलाल नरगावे (SHANTILAL NARGAVE) पिता लुदा नरगावे कर लिया है, जो मेरे पैन कार्ड में अंकित है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे सभी दस्तावेजो में रमेश कुमावत के स्थान में मेरा नाम शांतिलाल नरगावे (SHANTILAL NARGAVE) पिता लुदा नरगावे लिखा–पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना–पहचाना व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(रमेश कुमावत)
(RAMESH KUMAWAT)

नया नाम

(शांतिलाल नरगावे)
(SHANTILAL NARGAVE)
पिता– लुदा नरगावे
पता– धावडा चाचरिया, बड़वानी (म.प्र.).

(G-7530)

नाम परिवर्तन

मैं, रमेशचन्द्र नवल, मेरे पुत्र के आधार कार्ड में सुमित नेवला (SUMIT NEVLA) पिता रमेशचन्द्र दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरे पुत्र का सही नाम अन्य शैक्षणिक दस्तावेजों तथा जन्म प्रमाण–पत्र में सुमित नवल (SUMIT NAVAL) पिता रमेशचन्द्र नवल (RAMESH CHANDRA NAVAL) माता का नाम मनीषा देवी नवल (MANISHA DEVI NAVAL) दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे पुत्र के सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय, व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही नाम सुमित नवल (SUMIT NAVAL) पिता रमेशचन्द्र नवल (RAMESH CHANDRA NAVAL) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(सुमित नेवला)	**(सुमित नवल)**
(SUMIT NEVLA)	(SUMIT NAVAT).

(G-7531)

उपनाम परिवर्तन

मेरा पूर्व नाम मंजू अग्रवाल था. अब मैंने मेरा नया नाम मंजु गर्ग, पता– मकान नंबर 03, वार्ड नंबर–20, छावनी झंडा चौक आगर, जिला शाजापुर (म.प्र.) कर लिया है और मेरे समस्त दस्तावेजों में अंकित है. उपरोक्त दोनों नाम मेरे स्वयं के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(मंजु अग्रवाल)	**(मंजु गर्ग).**

(G-7532)

उपनाम परिवर्तन

मैं, रीना कर्मा पति श्री पंकज कर्मा, मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अन्य दस्तावेजों में मेरा उपनाम कर्मा अंकित है, जिसे मैंने परिवर्तित कर पांचाल (PANCHAL) कर लिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अन्य दस्तावेजों में रीना पांचाल (REENA PANCHAL) पति पंकज पांचाल के नाम से ही जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(रीना कर्मा)	**(रीना पांचाल)**
(REENA KARMA)	(REENA PANCHAL).

(G-7533)

नाम परिवर्तन

मैं, पूजा मालवीय पुत्री श्री सुमेर सिंह मालवीय, मेरे द्वारा मेरी स्वयं की इच्छा से मेरा नाम शशांक मालवीय (SHASHANK MALVIYA) रख लिया गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही नाम शशांक मालवीय (SHASHANK MALVIYA) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

प्रार्थिनी

(शशांक मालवीय)

निवासी– जी–98/44, तुलसी नगर,
1250, हुजूर, भोपाल (म.प्र.).

(G-7534)

नाम परिवर्तन

मैं, जितेन्द्र वंशकार आ. श्री प्रेमनारायण वंशकार, निवासी–वार्ड नं. 33, गौड बाबा कॉलोनी, दतिया (म.प्र.). मेरा सही नाम जितेन्द्र सिंह है, जो कि सही है एवं आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम जितेन्द्र सिंह वंशकार दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम जितेन्द्र सिंह से जाना–पहचाना जावे एवं अन्य शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम यही दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(जितेन्द्र सिंह वंशकार)

नया नाम

(जितेन्द्र सिंह)
आ. श्री प्रेमनारायण वंशकार.

(G-7535)

नाम परिवर्तन

मैं, साबिर पिया कुरेशी पिता कुदरत अली, निवासी– ग्राम सुपेला, थाना जियावन, तहसील देवसर, जिला सिंगरौली (म.प्र.). मेरे भारत निर्वाचन आयोग कार्ड में कुरेशी की स्पेलिंग KURESHI अंकित है, जो सही है, परंतु आधार कार्ड में नाम के आगे कुरैशी की स्पेलिंग KURAISHI अंकित किया गया है, जो गलत है, आधार कार्ड में KURAISHI की स्पेलिंग {AI} के स्थान पर मात्र E अंकित होने पर वोटर आई.डी. कार्ड के मुताबिक सुधार हो जाएगा. अतः प्रकाशन उपरान्त मतदाता पहचान–पत्र में अंकित इंग्लिश में लिखा KURESHI सही है, उसी के अनुसार आधार कार्ड में परिवर्तन किया जावे.

प्रार्थी

(साबिर पिया कुरेशी).

(G-7536)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम तारिक मोहम्मद शेख (TARIQUE MOHAMMED SHAIKH), निवासी– फ्लेट नं. 25, गोयल स्टेट 1 सेफिया कॉलेज रोड, कोहेफिजा, हुजूर, पी.ओ.जी.पी. डिस्ट्रिक, भोपाल (म.प्र.). मेरे पासपोर्ट में त्रुटिवश मोहम्मद तारिक उप नाम शेख तथा डीमेंट एकाउंट में त्रुटिवश तारिक शेख गलत नाम दर्ज हो गया है, जबकि मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्रायविंग लाइसेंस में तारिक मोहम्मद शेख tarique mohammed shaikh है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम तारिक मोहम्मद शेख tarique mohammed shaikh के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(मोहम्मद तारिक)

नया नाम

(तारिक मोहम्मद शेख)
(tarique mohammed shaikh).

(G-7537)

नाम परिवर्तन

मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड में मेरा नाम रामलाल सौराष्ट्रिये पिता स्व. श्री रतनलाल सौराष्ट्रिये त्रुटिवश दर्ज हो गया है, जो कि गलत है एवं मेरे अन्य दस्तावेजों जैसे मेरे राजस्व रिकार्ड की भूमि पुस्तिका में मेरा नाम रामसिंह पिता स्व. श्री रतिया दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपंरात मुझे रामसिंह पिता स्व. श्री रतिया के नाम से जाना–पहचाना जावे एवं मेरे समस्त दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(रामलाल सौराष्ट्रिये)
पिता– स्व. रतनलाल सौराष्ट्रिये

नया नाम

(रामसिंह)
पिता– स्व. रतिया.

(G-7538)

नाम परिवर्तन

मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड में मेरा नाम देवा पिता स्व. श्री रटटा त्रुटिवश दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरे अन्य दस्तावेजों जैसे मेरे राजस्व रिकार्ड की भूमि पुस्तिका में मेरा नाम देवीलाल पिता स्व. श्री रतिया दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे देवीलाल पिता स्व.श्री रतिया के नाम से जाना–पहचाना जावे एवं मेरे समस्त दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(देवा)	**(देवीलाल)**
पिता– स्व. श्री रटटा	पिता– स्व. श्री रतिया.

(G-7539)

नाम परिवर्तन

मैं, राजकुमार चर्मकार आत्मज श्री केमला चर्मकार, निवासी–ग्राम बिलटिकुरी, पोस्ट बिलटिकुरी, तहसील जैतपुर, जिला शहडोल (म.प्र.). मेरे पुत्र का नाम अभिषेक चर्मकार (Abhishek Charmkar) है. आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरे पुत्र का नाम अवशेक कुमार (Awshak Kumar) अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा पुत्र सही नाम अभिषेक चर्मकार (Abhishek Charmkar) के नाम से जाना–पहचाना एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

आवेदक

(राजकुमार चर्मकार).

(G-7540)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का नाम निकिता साहू पुत्री जगदीश साहू (NIKITA SAHU D/o. JAGDISH SAHU), निवासी– कड़िया चम्बर, बेरसिया, भोपाल (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम आरुषी पुत्री जगदीश साहू (ARUSHI D/o. JAGDISH SAHU) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम उसके शैक्षणिक दस्तावेजों में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री का नाम निकिता साहू पुत्री जगदीश साहू (NIKITA SAHU D/o. JAGDISH SAHU) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(जगदीश साहू).

(G-7541)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का नाम मोनिका यादव पिता रामदयाल यादव (MONIKA YADAV D/o. RAMDIYAL YADAV), निवासी– वार्ड नं. 10, ग्राम लखनवॉ पोस्ट, सेंधवा, तहसील बडामलेहरा, लखनवां, छतरपुर, बडामलेहरा (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम नीलम यादव पिता रामदयाल यादव (NEELAM YADAV D/o. RAMDAYAL YADAV) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम उसके शैक्षणिक दस्तावेजों की अंकसूची व जन्म प्रमाण–पत्र में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री का नाम मोनिका यादव पिता रामदयाल यादव (MONIKA YADAV D/o. RAMDIYAL YADAV) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(रामदयाल यादव).

(G-7542)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम अनुराग सिंह बैस पिता दिनेश कुमार बैस (ANURAG SINGH BAIS S/o. DINESH KUMAR BAIS), निवासी– ग्राम पोस्ट मझटोलवा, ब्लॉक रामनगर, तहसील रामनगर, जिला सतना (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम दीपांक पिता दिनेश बैस (DEEPAANK S/o. DINESH BAIS) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम अनुराग सिंह बैस पिता दिनेश कुमार बैस (ANURAG SINGH BAIS S/o. DINESH KUMAR BAIS) है, जो कि मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का नाम अनुराग सिंह बैस पिता दिनेश कुमार बैस (ANURAG SINGH BAIS S/o. DINESH KUMAR BAIS) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(G-7543) **(दिनेश कुमार बैस).**

नाम परिवर्तन

मैं, रतन सिंह लोधी आत्मज श्री चैनसिंह लोधी, निवासी–ग्राम कुंडाली बम्हौरी, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन (म.प्र.). मेरी पुत्री का सही नाम सलोनी लोधी (Saloni Lodhi) है. आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरी पुत्री का नाम सल्लो लोधी (Sallo Lodhi) अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री अपने सही नाम सलोनी लोधी (Saloni Lodhi) के नाम से जानी–पहचानी जायेगी एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरी पुत्री का यही नाम दर्ज किया जावे.

आवेदक

(G-7544) **(रतन सिंह लोधी).**

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम मुमताज मोहम्मद पिता श्री तेजब्बुल हुसेन (MUMTAJ MOHAMMAD S/o. TEJABBUL HUSEN), निवासी– ग्राम सुन्दर, पोस्ट दरबारी, सिंगरोली (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम अपसर अली पिता श्री तेजब्बूल हुसेन (APASAR ALI S/o. TEJABBUL HUSEN) अंकित हो गया है, जो कि गलत है मेरे पुत्र का सही नाम उसके शैक्षणिक दस्तावेजों में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र का नाम मुमताज मोहम्मद पिता श्री तेजब्बुल हुसेन (MUMTAJ MOHAMMAD S/o. TEJABBUI HUSEN) के नाम से जाना, पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(श्री तेजब्बूल हुसेन).

(G-7545)

नाम परिवर्तन

मैं, दीपेन्द्र कुमार चतुर्वेदी पुत्र नगेंद्र कुमार चतुर्वेदी, निवासी– ग्राम टेहरका खास, टीकमगढ़ (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम अवनी (AVNI) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम भूमि चतुर्वेदी पुत्री दीपेन्द्र कुमार चतुर्वेदी (BHOOMI CHATURVEDI D/o. DEEPENDRA KUMAR CHATURVEDI) जो कि जन्म प्रमाण–पत्र मार्कशीट में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री का नाम भूमि चतुर्वेदी पुत्री दीपेन्द्र कुमार चतुर्वेदी (BHOOMI CHATURVEDI D/o. DEEPENDRA KUMAR CHATURVEDI) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(G-7546) **(दीपेन्द्र कुमार चतुर्वेदी).**

नाम परिवर्तन

मैं, वीरेंद्र लोधी पुत्र कमल सिंह लोधी, निवासी–79, ग्राम सुनहरा, बक्सवाहा, छतरपुर, (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड एवं पैन कार्ड में त्रुटिवश बीरेंद लोधी (BIREND LODHI) नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरे जन्म प्रमाण– पत्र, निवास प्रमाण–पत्र एवं समस्त शैक्षिणक दस्तावेजों में वीरेंद्र लोधी (VEERENDRA LODHI) नाम दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही नाम वीरेंद्र लोधी (VEERENDRA LODHI) के नाम से जाना पहचाना एवं लिखा पढ़ा दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(बीरेंद लोधी)	**(वीरेंद्र लोधी)**
(BIREND LODHI)	(VEERENDRA LODHI).

(G-7547)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम अरुणेन्द्र कुमार कुशवाह (ARUNANDR KUMAR KUSHWAH) पिता हर प्रसाद कुशवाह है, जो कि मेरे कुछ शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों पर दर्ज है, किन्तु मेरे आधार कार्ड पर त्रुटिवश मेरा नाम अरुणेन्द्र कुमार कुशवाह (ARUNENDRA KUMAR KUSHWAHA) पिता हरप्रसाद दर्ज हो गया है, अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे सभी दस्तावेजों पर मेरा सही नाम अरूणेन्द्र कुमार कुशवाह (ARUNANDR KUMAR KUSHWAH) पिता हर प्रसाद कुशवाह के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(अरूणेन्द्र कुमार कुशवाह)	**(अरुणेन्द्र कुमार कुशवाह)**
(ARUNENDRA KUMAR KUSHWAHA)	(ARUNANDR KUMAR KUSHWAH) पिता– हर प्रसाद कुशवाह, पता– 536/5, भवानी नागर, सांवेर रोड, जिला इन्दौर, (म.प्र.).

(G-7548)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम मंजू बाई गौड़ (MANJU BAI GOUD) पति राकेश कुमार गौड़ है. जो कि मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं वोटर कार्ड पर दर्ज है, किन्तु मेरे पति श्री राकेश कुमार गौड़ के सर्विस रिकार्ड पर पत्नी के स्थान पर त्रुटिवश मेरा नाम हेमलता (HEMLATA) दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे सभी दस्तावेजो पर एवं मेरे पति के सभी दस्तावेजों पर पत्नी के स्थान पर मेरा सही नाम मंजू बाई गौड़ (MANJU BAI GOUD) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(हेमलता)	**(मंजू बाई गौड़)**
(HEMLATA)	**(MANJU BAI GOUD)** पति– राकेश कुमार गौड पता– 39, साहू नगर, इन्दौर (म.प्र.).

(G-7549)

नाम परिवर्तन

मैं, संजय बाल्मीकि पुत्र श्री बाबू लाल बाल्मीकि, निवासी– मं.नं. 117, वार्ड नं. 47, पंचशील नगर, भोपाल पूर्व का पता–झुग्गी नं 117, बलबीर नगर, भोपाल (म.प्र.). मेरे पुत्र का सही नाम संजय बाल्मीकि (Sanjay Balmiki) है, किन्तु आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरे पुत्र का नाम संजू बाल्मीकि (Sanju Balmiki) अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को उसके सही नाम संजय बाल्मीकि (Sanjay Balmiki) के नाम से जाना–पहचाना जावे एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरे पुत्र का यही नाम मान्य रहेगा.

आवेदक

(G-7550) **(संजय बाल्मीकि).**

नाम परिवर्तन

मैं, समता सोनी पति संदीप सोनी (SAMTA SONI W/o. SANDEEP SONI), निवासी– ग्राम नलखेड़ा, तह. व जिला आगर–मालवा (म.प्र.). मेरे वोटर आईडी कार्ड व अंकसूची में मोनिका सोनी पति संदीप सोनी दर्ज है, जो सही है. किन्तु मेरे आधार कार्ड व समग्र आईडी में समता सोनी पति संदीप सोनी नाम गलत अंकित हो गया है. उसके स्थान पर परिवर्तित करके मोनिका सोनी पति संदीप सोनी (MONIKA SONI W/o. SANDEEP S ONI) है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरा नाम मोनिका सोनी पति संदीप सोनी (MONIKA SONI W/o. SANDEEP SONI) के नाम से जाना–पहचाना एवं आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में सही नाम दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(समता सोनी)

नया नाम
(मोनिका सोनी)
पति– संदीप सोनी
निवासी– ग्राम नलखेड़ा,
तह. व जिला आगर–मालवा (म.प्र.).

(G-7551)

नाम परिवर्तन

मेरा पूर्व में नाम श्रीमती प्रेमबाई सिंह था जिसको परिवर्तित कर मेरा सही नाम श्रीमती बिसनिया देबी (Bisaniya Debi) पत्नी श्री रामभरोसे सिंह हो गया है. इससे पूर्व मुझे श्रीमती प्रेगबाई सिंह के नाम से जानी और पहचानी जाती थी अब मेरा नया नाम श्रीमती बिसनिया देबी (Bisaniya Debi) हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे समस्त दस्तावेजों में जहां पुराना नाम श्रीमती प्रेमबाई सिंह लिखा है उसके स्थान पर सही नाम श्रीमती बिसनिया देवी (Bisaniya Debi) पढ़ा और लिखा जावे.

पुराना नाम
(प्रेमबाई सिंह)
(Prembai Singh)

नया नाम
(बिसनिया देबी)
(Bisaniya Debi).

(G-7552)

नाम परिवर्तन

मैं, अनुराग तिवारी तनय श्री उर्मिला प्रसाद तिवारी, निवासी– वार्ड नं. 16, एम.आई.जी.–14, जय प्रकाशन नारायण नगर, पी.के. स्कूल के पीछे, उर्रहट, हुजूर, जिला रीवा (म.प्र.). मेरे पुत्र का नाम शासकीय व अशासकीय अभिलेखों में यायिन तिवारी (YAYIN TIWARI) लिखा है, अब मैं, अपने पुत्र का नाम यायिन तिवारी के स्थान पर आरव तिवारी (AARAV TIWARI) लिखना चाहता हूं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र के समस्त शासकीय व अशासकीय अभिलेखों में मेरे पुत्र का नाम आरव तिवारी (AARAV TIWARI) लिखा व पढ़ा जाए.

आवेदक

(अनुराग तिवारी)
तनय श्री उर्मिला प्रसाद तिवारी.

(G-7553)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम अश्विन शर्मा पुत्र श्री संजीव शर्मा, निवासी–एच.नं. 225 एम्स अस्पताल, साकेत नगर, हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरे पुत्र का नाम अश्वनी भट्ट (Ashwini Bhatt) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरे जन्म प्रमाण–पत्र उसका सही नाम अश्विन शर्मा (Ashwin Sharma) दर्ज है. अश्विन शर्मा (Ashwin Sharma) एवं अश्वनी भट्ट (Ashwini Bhatt) अंकित दोनों एक ही व्यक्ति हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को उसके सही नाम अश्विन शर्मा (Ashwin Sharma) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(अश्वनी भट्ट)

(Ashwini Bhatt)

नया नाम

(अश्विन शर्मा)

(Ashwin Sharma)

पुत्र– श्री संजीव शर्मा.

(G-7554)

नाम परिवर्तन

मैं, मेघना पंजाबी पिता श्री राजेश पंजाबी, निवासी– 7/32/5, सिविल लाइन, वर्धमान नगर, देवास (म.प्र.). मेरे जन्म प्रमाण–पत्र में मेरा नाम त्रुटिवश चिन्की मेघना पंजाबी पिता राजेश पंजाबी दर्ज है. जबकि मेरा सही नाम मेघना पंजाबी पिता राजेश पंजाबी है, जो कि मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, अंकसूची आदि में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे सभी शासकीय, अशासकीय, व्यक्तिगत कार्यवाही एवं समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम मेघना पंजाबी पिता राजेश पंजाबी के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदिका

(मेघना पंजाबी)

पिता–राजेश पंजाबी.

(G-7555)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम ओम वशिष्ट नायक पिता कौशल नायक (OM VASHISHT NAYAK S/o. KAUSHAL NAYAK), निवासी– 91, अमृत एनक्लेव अयोध्या बायपास भोपाल (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड, जन्म प्रमाण–पत्र व समग्र आई.डी. में त्रुटिवश नाम हरिओम वशिष्ट पिता कौशल वशिष्ट (HARIOM VASHISHT S/o. KAUSHAL NAYAK) अंकित हो गया हैं, जो की गलत है मेरे पुत्र का सही नाम ओम वशिष्ट नायक पिता कौशल नायक (OM VASHISHT NAYAK S/o. KAUSHAL NAYAK) उसके शैक्षणिक दस्तावेज में भी दर्ज होने से प्रमाणित है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का सही नाम ओम वशिष्ट नायक पिता कौशल नायक (OM VASHISHT NAYAK S/o. KAUSHAL NAYAK) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(कौशल नायक).

(G-7556)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, सिरोंज, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश

सिरोंज, दिनांक 5 दिसम्बर 2025

प्रारुप – पांच

[नियम 5(1) देखिए]

1. श्री राम राजा रघुवंश परमार्थ सेवा
ट्रस्ट सिरोंज, गुना, भोपाल, बायपास रोड,
बटईया सरकार मंदिर के सामने, इशान
इंटरनेशनल स्कूल के पीछे, सिरोंज,
जिला विदिशा, मध्यप्रदेश, **आवेदक**

बनाम

1. मध्यप्रदेश शासन, **अनावेदक**

प्र.क्र.–01–बी–113/25–26.– मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास, नियम 1962 के नियम 5 (1) लोक न्यास के पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सिरोंज, जिला विदिशा के समक्ष या मुझे यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 2 की उपधारा (4) के आशय के अधीन लोक न्यास का गठन करती है.

अब, इसलिये मैं, हरिशंकर विश्वकर्मा लोक न्यासों का पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी, सिरोंज, जिला विदिशा, मेरे न्यायालय में दिनांक 15 दिसम्बर 2025 दिन सोमवार पर कथित अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) में यथा– अपेक्षित मामले में जांच करने को प्रस्तावित करता हूँ.

एतद्द्वारा सूचना–पत्र दिया जाता है कि कथित न्यास या संपत्ति का कोई न्यासी का कार्यकारी न्यासी या इसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति या सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में इस सूचना–पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिगत अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्ति को विचार में नहीं लिया जाएगाः–

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व संपत्ति का विवरण)

1. विशेषज्ञों की मूल्यांकन रिपोर्ट द्वारा संलग्न अचल सम्पति का प्राक्कलित मूल्य.
2. **न्यास के आय के स्त्रोत** – 1. न्यास के सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व सहयोग राशि, दान–दाताओं या संस्थाओं द्वारा दी गई अनुदान राशि.
   2. न्यास की संपत्ति से अनेक रूप में होने वाले लाभ के रूप में प्राप्त आय.

अशासकीय संस्थाओं द्वारा प्रदत्त दान व अनुदान राशिः–

3. औसत सकल वार्षिक आय – 4,60,000/– (रु. चार लाख, साठ हजार)
4. औसत वार्षिक व्यय – 3,50,000/– (रु. तीन लाख, पचास हजार)
5. न्यासियों और प्रबंधक के परिश्रामिक मूल्य के साथ. – निरंक

6. स्थापना और कर्मचारीवृन्द पर के वेतन पर व्यय	–	समय अनुसार
7. धार्मिक उद्देश्यों पर व्यय	–	3,50,000/– (रु. तीन लाख, पचास हजार)
8. पर्व उद्देश्यों पर व्यय	–	3,50,000/– (रु. तीन लाख, पचास हजार)
9. विविध मदों पर व्यय	–	3,50,000/– (रु. तीन लाख, पचास हजार)
10. वित्तीय वर्ष का समान्य बजट	–	आयः– 4,01,480, पुरानी राशि– 1,10,837 कुल राशि – 5,12,117 व्यय 2,97,260, शेष राशि 2,14,857 है.
11. अचल सम्पत्ति	–	भूमि सर्वे कमांक 2206/3 एवं 2205/2 में से रकबा 0.632 हेक्टर भूमि क्रय करने हेतु समिति द्वारा निर्णय लिया गया.

(G-7557) **हरिशंकर विश्वकर्मा,** अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, नजूल, टी.टी.नगर, भोपाल, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 11 नवम्बर 2025

प्रारुप – चार

[नियम 5(1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5(1) के अंतर्गत]

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, टी.टी.नगर, भोपाल जिले के समक्ष.

प्र.क्र.–02–बी–113–2025–26.– चूंकि, श्री अजीत खंडेलवाल आ. श्री रामनाथ गुप्ता, निवासी–म.नं.–ई–2/291, अरेरा कालोनी, आर.एस. नगर, भोपाल (म.प्र.) ने लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास (प्यारेलाल खंडेलवाल चेरिटेबल ट्रस्ट, भोपाल) का पंजीयन कराये जाने हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया है. उक्त ट्रस्ट के पंजीयन हेतु एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 26 नवम्बर 2025 को विचार के लिए लिया जावेगा.

अतः, मैं, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, टी.टी. नगर, भोपाल (प्यारेलाल खंडेलवाल चेरिटेबल ट्रस्ट, भोपाल) लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 26 जून 2025 को उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा यथा–अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करती हूं.

अतः, एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से पन्द्रह दिवस के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है, और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जाएगाः–

अनुसूची

1. ट्रस्ट का नाम	–	प्यारेलाल खंडेलवाल चेरिटेबल ट्रस्ट, भोपाल (म.प्र.).
2. चल सम्पत्ति	–	निल.
3. अचल सम्पत्ति	–	निल.

आज दिनांक 11 नवम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी की गई.

(G-7558) **अर्चना रावत शर्मा,** अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

न्यायालय, पंजीयक, सार्वजनिक लोक न्यास, अनुभाग बुरहानपुर, मध्यप्रदेश

बुरहानपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2025

[नियम 5(1) देखिए]

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अंतर्गत]

प्र.क्र.–.....–बी–113–2025–26.– एतदद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि लोक न्यास के पंजीयक, बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर के समक्ष आवेदक अरुण पिता मधुकर चालसे, निवासी– महाजनापेठ, तहसील व जिला बुरहानपुर ने एक आवेदन–पत्र अंतर्गत धारा 4 मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 के तहत प्रस्तुत कर सोमवंशीय क्षेत्रीय कासार समाज ट्रस्ट, पता–174, मराठा हॉस्टल के पास, महाजनापेठ, वार्ड नंबर 01, शहर तहसील व जिला बुरहानपुर के पंजीयन हेतु आवेदन–पत्र पेश किया गया हैं. एतदद्वारा सूचना–पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन–पत्र दिनांक 07 नवम्बर 2025 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया गया है.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखत कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर विचार में नहीं लिया जायेगाः–

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता, सम्पत्ति का विवरण)

1. सोमवंशीय क्षेत्रीय कासार समाज ट्रस्ट द्वारा आवेदक अरूण पिता मधुकर चालसे, निवासी महाजनापेठ, तहसील व जिला बुरहानपुर.

2. चल सम्पत्ति	–	18000/– एफडी एवं 5000/– नगद है.
3. अचल सम्पत्ति	–	मोहल्ला शनवारा स्थित भूमि जिसका नजूल ब्लाक नंबर 23, प्लाट नंबर 232, क्षेत्रफल 1735 वर्गफीट है.

(G-7559) **अजमेर सिंह गौड़,** पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारिता निरीक्षक, सहकारी समितियां, ग्वालियर, मध्यप्रदेश

ग्वालियर, दिनांक 24 नवम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57–सी के अंतर्गत]

क्र. 01–परि.–2025.– उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला ग्वालियर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया हैः–

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक / दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक / दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	गुरू कन्हारदास प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार, ग्वालियर.	118/27–06–1966	294/17–02–1997

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	रिची प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार, ग्वालियर.	554 / 11–07–2016	920 / 07–06–2019
3.	जय कोटेश्वर प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार, ग्वालियर.	659 / 28–03–2017	915 / 07–06–2019
4.	जय शीतला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार, ग्वालियर.	566 / 08–09–2016	916 / 07–06–2019
5.	एकता महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति, चिकली.	961 / 01–07–2004	969 / 21–03–2016
6.	अल्पसंख्यक मछुआरा सहकारी संस्था, इस्लामपुरा.	808 / 30–08–1995	2191 / 20–11–1997
7.	जय मां गायत्री यातायात सहकारी संस्था, ग्वालियर.	203 / 26–06–1993	573 / 22–02–2005
8.	प्रजापति ईंटभट्टा उद्योग सहकारी समिति, भितरवार.	41 / 17–07–1959	1000 / 29–03–2016
9.	मां पीताम्बरा सिलाई उद्योग सहकारी समिति, ग्वालियर.	400 / 26–11–2007	998 / 29–03–2016
10.	विंध्यांचल गोलीटॉपी उद्योग सहकारी समिति, ग्वालियर.	283 / 11–06–1997	1094 / 30–03–2016

सहकारी अधिनियम की धारा 71(1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्था की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई है. अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना–पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर गय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय उप / सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाये जिला ग्वालियर में कार्यालयीन में प्रस्तुत करें, त्रुटिं की दशा में साहूकारगण / दावेदारगण / सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नही होगा तथा संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किए गए समझे, जावेंगे.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आरितयां, डेड स्टॉक संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे, यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख एवं डेड स्टॉक नहीं सौंपें गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जबावदारी संबंधित की रहेगी.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती है तो दावेदारों / साहूकारों / सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस / शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर समक्ष अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना–पत्र आज दिनांक 24 नवम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-7560)

ग्वालियर, दिनांक 24 नवम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57–सी के अंतर्गत]

क्र.–01–परि.–2025.– उप–सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां जिला ग्वालियर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:–

क्र. (1)	नाम संस्था (2)	पंजीयक क्रमांक व दिनांक (3)	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक (4)
1.	महिला होजरी उद्योग सहकारी समिति, ग्वालियर.	926 / 29–03–2003	1090 / 30–03–2016
2.	भारतीय सिक्योरिटी साख सहकारी समिति, ग्वालियर.	521 / 12–02–2016	1889 / 07–09–2020
3.	जनता साख सहकारी समिति मर्या., ग्वालियर.	533 / 22–06–2016	1861 / 07–09–2020
4.	सम्पूर्णा महिला विकास साख सहकारी समिति, ग्वालियर.	698 / 20–04–2017	1893 / 07–09–2020
5.	गालव साख सहकारी समिति मर्या., ग्वालियर.	685 / 28–03–2017	1894 / 07–09–2020
6.	दीनदयाल साख सहकारी समिति मर्या., ग्वालियर.	587 / 04–10–2016	1896 / 07–09–2020

सहकारी अधिनियम की धारा 71(1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्था की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई है. अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना–पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर गय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय उप / सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाये जिला ग्वालियर में कार्यालयीन में प्रस्तुत करें, त्रुटिं की दशा में साहूकारगण / दावेदारगण / सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नही होगा तथा संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किए गए समझे, जावेंगे.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आरितयां, डेड स्टॉक संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे, यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख एवं डेड स्टॉक नहीं सौंपें गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जबावदारी संबंधित की रहेगी.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती है तो दावेदारों / साहूकारों / सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस / शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर समक्ष अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना–पत्र आज दिनांक 24 नवम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-7561) **आनन्द कुमार,** परिसमापक एवं सहकारिता निरीक्षक.

कार्यालय, उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश

देवास, दिनांक 30 अक्टूबर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2025–3786.– कार्यालयीन आदेश क्रमांक–परि–91, दिनांक 08 जनवरी 2024 वैदिक महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित देवास, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक्र 992, दिनांक 26 दिसम्बर 2001 हैं, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर, धारा 70 (1) के अंतर्गत श्री मनीष चौधरी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था में परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारुप में प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई हैं.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंची हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, दीपाली खण्डेलवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएँ, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक–एफ–5–1–99–पन्द्रह–1सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अंतर्गत द्वितीय अनुसूची में प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 30 अक्टूबर 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया हैं.

(G-7562)

देवास, दिनांक 30 अक्टूबर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2025–3787.– कार्यालयीन आदेश क्रमांक–परि–1152, दिनांक 24 अप्रैल 2025 नाकोड़ा प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्यादित देवास, तहसील जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 921, दिनांक 24 फरवरी 2001 हैं, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर, धारा 70 (1) के अंतर्गत श्रीमती आभा काचले, उप अंकेक्षक को संस्था में परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारुप में प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई हैं.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंची हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित हैं.

अतः मैं, दीपाली खण्डेलवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं जिला देवास, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक–एफ–5–1–99–पन्द्रह–1सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अंतर्गत द्वितीय अनुसूची में प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 30 अक्टूबर 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया हैं.

(G-7563)

देवास, दिनांक 30 अक्टूबर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2025–3788.– कार्यालयीन आदेश क्रमांक–परि–4983, दिनांक 24 दिसम्बर 2024 दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित भीलखेड़ी, तहसील खांतेगांव, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1564, दिनांक 05 जून 2015 हैं, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर, धारा 70 (1) के अंतर्गत श्री अरूण पेढ़ारे, उप अंकेक्षक को संस्था में परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारुप में प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई हैं.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंची हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित हैं.

अतः मैं, दीपाली खण्डेलवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं जिला देवास, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक–एफ–5–1–99–पन्द्रह–1सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अंतर्गत द्वितीय अनुसूची में प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 30 अक्टूबर 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया हैं.

(G-7564)

देवास, दिनांक 30 अक्टूबर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2025–3789.– कार्यालयीन आदेश क्रमांक–परि–4987, दिनांक 24 दिसम्बर 2024 दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित खुड़गांव, तहसील खांतेगांव, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1656, दिनांक 31 मार्च 2018 हैं, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर, धारा 70 (1) के अंतर्गत श्री अरूण पेढ़ारे, उप अंकेक्षक को संस्था में परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारुप में प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई हैं.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंची हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित हैं.

अतः मैं, दीपाली खण्डेलवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं जिला देवास, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक–एफ–5–1–99–पन्द्रह–1सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अंतर्गत द्वितीय अनुसूची में प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 30 अक्टूबर 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया हैं.

(G-7565)

देवास, दिनांक 30 अक्टूबर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2025–3790.– कार्यालयीन आदेश क्रमांक–परि–1148, दिनांक 11 अप्रैल 2023 मां जय जय अम्बे विस्थापित मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित किटी कोठड़ा, तहसील सतवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1151, दिनांक 08 अगस्त 2006 हैं, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर, धारा 70 (1) के अंतर्गत श्री पर्वतसिंह निगवाल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था में परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारुप में प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई हैं.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित हैं.

अतः मैं, दीपाली खण्डेलवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं जिला देवास, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक–एफ–5–1–99–पन्द्रह–1सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अंतर्गत द्वितीय अनुसूची में प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 30 अक्टूबर 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया हैं.

(G-7566)

देवास, दिनांक 31 अक्टूबर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2025–3791.– कार्यालयीन आदेश क्रमांक–परि–3263, दिनांक 21 सितम्बर 2023 दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित पुरा तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1588, दिनांक 29 सितम्बर 2015 हैं, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर, धारा 70 (1) के अंतर्गत श्री जोवाकिम कुजुर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था में परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारुप में प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई हैं.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंची हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित हैं.

अतः मैं, दीपाली खण्डेलवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं जिला देवास, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक–एफ–5–1–99–पन्द्रह–1सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अंतर्गत द्वितीय अनुसूची में प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 31 अक्टूबर 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया हैं.

(G-7567)

देवास, दिनांक 31 अक्टूबर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2025–3792.– कार्यालयीन आदेश क्रमांक–परि–4558, दिनांक 24 अक्टूबर 2024 दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, भवाना तहसील कन्नौद, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1652, दिनांक 31 मार्च 2018 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर, धारा 70 (1) के अंतर्गत श्री पर्वतसिंह निगवाल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था में परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारुप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण–पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंची हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, दीपाली खण्डेलवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक–एफ–5–1–99–पन्द्रह–1सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अंतर्गत द्वितीय अनुसूची में प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 31 अक्टूबर 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया हैं.

(G-7568)

देवास, दिनांक 31 अक्टूबर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2025–3793.– कार्यालयीन आदेश क्रमांक–परि–4557, दिनांक 24 अक्टूबर 2024 दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सुलगॉव तहसील खांतेगांव, जिला देवास जिसका पंजीयक क्रमांक 1423 दिनांक 15 मई 2014 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अंतर्गत श्री आनन्द खत्री, अंकेक्षण अधिकारी को संस्था में परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारुप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण–पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंची हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, दीपाली खण्डेलवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं जिला देवास, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक–एफ–5–1–99–पन्द्रह–1सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अंतर्गत द्वितीय अनुसूची में प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 31 अक्टूबर 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया हैं.

दीपाली खण्डेलवाल, सहायक रजिस्ट्रार.

(G-7569)

कार्यालय, सहायक आयुक्त (प्रशासन) सहकारिता, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश

बड़वानी, दिनांक 31 अक्टूबर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1)(2) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2025–1331.– कार्यालयीन आदेश क्रमांक–परि–83 बड़वानी, दिनांक 02 मई 2005 के द्वारा संजीवनी खनिज उत्खन्न सहकारी संस्था मर्यादित, पानसेमल, पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं पंजीयन नम्बर व दिनांक के आधार पर जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 923, दिनांक 22 अक्टूबर 1994 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र सिरसाट, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारिता, जिला बड़वानी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण–पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, सुरेश सांवले, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक–एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–डी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त परिसमापनाधीन संजीवनी खनिज उत्खन्न सहकारी संस्था मर्यादित, पानसेमल, जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 923, दिनांक 22 अक्टूबर 1994 है, संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए, संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूं.

आज दिनांक 31 अक्टूबर 2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-7570)

बड़वानी, दिनांक 31 अक्टूबर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1)(2) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2025–1330.– कार्यालयीन आदेश क्रमांक–परि–62 बड़वानी, दिनांक 02 मई 2005 के द्वारा संजीवनी कुक्कुट पालन सहकारी संस्था मर्यादित, पानसेमल, पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं पंजीयन नम्बर व दिनांक के आधार पर जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 914, दिनांक 16 मार्च 1994 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र सिरसाट, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारिता, जिला बड़वानी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण–पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ, कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, सुरेश सांवले, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक–एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–डी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त परिसमापनाधीन संजीवनी कुक्कुट पालन सहकारी संस्था मर्यादित, पानसेमल, जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 914, दिनांक 16 मार्च 1994 है, संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूं.

आज दिनांक 31 अक्टूबर 2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-7571)

बड़वानी, दिनांक 31 अक्टूबर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1)(2) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2025–1329.– कार्यालयीन आदेश क्रमांक–परि–79 बड़वानी, दिनांक 02 मई 2005 के द्वारा संजीवनी साख सहकारी संस्था मर्यादित, पानसेमल, पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं पंजीयन नम्बर व दिनांक के आधार पर जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 929, दिनांक 22 अक्टूबर 1994 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र सिरसाट, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारिता, जिला बड़वानी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण--पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ, कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, सुरेश सांवले, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक–एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–डी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त परिसमापनाधीन संजीवनी साख सहकारी संस्था मर्यादित, पानसेमल, जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 929, दिनांक 22 अक्टूबर 1994 है, संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूं.

आज दिनांक 31 अक्टूबर 2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-7572)

बड़वानी, दिनांक 31 अक्टूबर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 69(4) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2025–1328.– मॉ लक्ष्मी महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बड़वानी, पंजीयन क्रमांक 291, दिनांक 4 अक्टूबर 2011 को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2022/765 बड़वानी दिनांक 18 मई 2022 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अन्तर्गत श्री जे.एस. चौहान अंकेक्षण अधिकारी, सहकारिता, जिला बड़वानी को संस्था परिसमापक नियुक्त किया गया था. संस्था की विशेष आमसभा दिनांक 27 अक्टूबर 2025 में संस्था को पुनर्जीवित करने की अनुशंसा कर प्रस्ताव कार्यालय को पत्र दिनांक 29 अक्टूबर 2025 को प्रस्तुत किया गया. प्रस्ताव का परीक्षण श्री प्रदीप रावत, अंकेक्षण अधिकारी, सहकारिता जिला बड़वानी द्वारा किया.जाकर संस्था को पुनर्जीवित करने की अनुशंसा कीं गई है.

अतः, मैं, सुरेश सांवले, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (4) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, की अधिसूचना क्रमांक–एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–डी दिनांक 26 जुलाई 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिसमापनाधीन माँ लक्ष्मी महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बड़वानी पंजीयन क्रमांक 291, दिनांक 04 अक्टूबर 2011 को परिसमापन से मुक्त कर पुनर्जीवित करता हूँ, साथ ही संस्था के कारोबार के संचालन हेतु निम्नानुसार प्रस्तावित एक सदस्यी कमेटी का गठन करता हूँ.

श्री जे.एस. चौहान, अंकेक्षण अधिकारी, सहकारिता जिला बड़वानी साथ ही निर्देशित किया जाता है, कि संस्था की सदस्य संख्या में वृद्धि कर संचालक मण्डल का निर्वाचन निर्धारित समयावधि में करवाकर नव निर्वाचित कमेटी को कार्यभार सौंपा जावें.

आज दिनांक 31 अक्टूबर 2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन प्रदमुद्दा से जारी किया गया है.

(G-7573)

बड़वानी, दिनांक 31 अक्टूबर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69(4) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2025–1327.– आदर्श महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., राजपुर, पंजीयन क्रमांक 74, दिनांक 28 अक्टूबर 2002 को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2021/1329 बड़वानी, दिनांक 22 दिसम्बर 2021 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अन्तर्गत श्री राधेश्याम चौहान पद उप अंकेक्षक, सहकारिता, जिला बड़वानी को संस्था परिसमापक नियुक्त किया गया था. संस्था की विशेष आमसभा दिनांक 02 अक्टूबर 2025 में संस्था को पुनर्जीवित करने की अनुशंसा कर प्रस्ताव कार्यालय को पत्र दिनांक 29 अक्टूबर 2025 को प्रस्तुत किया गया. प्रस्ताव का परीक्षण श्री जे.एस. चौहान, अंकेक्षण अधिकारी, सहकारिता जिला बड़वानी द्वारा किया जाकर संस्था को पुनर्जीवित करने की अनुशंसा की गई है.

अतः मैं, सुरेश सांवले, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (4) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक–एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–डी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिसमापनाधीन आदर्श महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., राजपुर, पंजीयन क्रमांक 74, दिनांक 28 अक्टूबर 2002 को परिसमापन से मुक्त कर पुनर्जीवित करता हूँ, साथ ही संस्था के कारोबार के संचालन हेतु निम्नानुसार प्रस्तावित एक सदस्यी कमेटी का गठन करता हूँ:–

श्री राधेश्याम चौहान, उप अंकेक्षक, सहकारिता जिला बड़वानी साथ हीं निर्देशित किया जाता है, कि संस्था की सदस्य संख्या में वृद्धि कर संचालक मण्डल का निर्वाचन निर्धारित समयावधि में करवाकर नव निर्वाचित कमेटी को कार्यभार सौंपा जावे.

आज दिनांक 31 अक्टूबर 2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

सुरेश सांवले, सहायक पंजीयक.

(G-7574)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2025.

इसे वेबसाइट **www.govtpress.mp.gov.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 51] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 दिसम्बर 2025–अग्रहायण 28, शक 1947

भाग 3 (2)

सांख्यिकी सूचनाऐं

(कुछ नहीं)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2025.